# इकाई–IV

# भारतीय राजनीति के उभरते आयाम

## 1. नियोजन और विकास नीति आयोग

## (Planning and Development : NITI Commission)

सभी मनुष्य आने वाले कल के बारे में चिंतित रहते हैं। इस चिन्ता के समाधान हेतु वह चिंतन करते हैं तथा इसी चिंतन में उसके भविष्य की योजनाएँ निहित है। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति इस दिशा में कुछ व्यवस्थित प्रयास इन चिन्ताओं का उचित निदान है। राष्ट्रों को भी अपनी वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के कदम उठाने होते हैं। 1928 में सर्वप्रथम सोवियत रुस ने अर्थव्यवस्था के विकास व वृद्धि हेतु इस प्रक्रिया के तहत नियोजन को स्वीकार किया। देश की समस्याओं के समाधान हेतु कुछ योजनाबद्ध कदम उठाए गए। रुस के ये प्रयास उस अवधि में काफी सफल हुए। फलस्वरूप अन्य राष्ट्रों ने भी विकास के इस मॉडल को स्वीकार किया। हमारे देश में भी 1950 में योजना आयोग के गठन के साथ ही नियोजन के इस स्वरूप को स्वीकारा गया। देश में विद्यमान आर्थिक समस्याओं– गरीबी, बेरोजगारी, आथि विषमता, उद्योगों व कल–कारखानों का विकास करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी को गति देने हेतु आर्थिक नियोजन आवश्यक है।

**भारत में 1950 में सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया।**

### 1.1 नियोजन क्या है (What is Planning)

सोच–समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। नियोजन के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य स्पष्ट हो, उसे प्राप्त करने के साधन व प्रयास व्यवस्थित हो तथा अवधि निश्चित हो। हमारे योजना आयोग ने इसे परिभाषित करते हुए बताया कि –

" नियोजन, संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। "

**योजना आयोग विधि द्वारा निर्मित एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसका गठन 1950 में किया गया।**

भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 1934 में एम. विश्वेश्वरैया की पुस्तक 'प्लान्ड इकोनोमी फोर इंडिया' **(Planned Economy for India)** द्वारा किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने आशा प्रकट की कि प्रस्तुत योजना से आगामी दस वर्षों में राष्ट्रीय आय दुगुनी की जा सकती है।

कालान्तर में 1944 में बम्बई योजना, श्रीमन्नारायण की गाँधीवादी योजना, एम.एन. राय की जन योजना, 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी इस दिशा में किए गए सार्थक प्रयास थे।

### 1.2 नियोजन क्यों (Why Planning)

हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियोजन अपनाया गया। प्रारम्भ में इसके उद्देश्यों में तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही व्यवस्थित प्रयास किए गए। आज हमारी आवश्यकताएँ एवं चुनौतियाँ भिन्न है। अतः नियोजन के प्रयास भी परिवर्तित रूप में हमने प्रारम्भ कर दिए है। इनके उद्देश्यों को हम इन बिन्दुओं से जान सकते हैं–

1. संसाधनों का समुचित उपयोग जिससे इनके अपव्यय को रोककर राष्ट्रीय विकास किया जा सके।
2. देश में व्याप्त बेरोजगारी दूर कर, लोगों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करना।
3. कौशल विकास देश के नागरिकों की सुषुप्त प्रतिभा को जागृत कर उन्हें परम्परागत कौशलों को नवीनीकृत रूप में विकसित करना।
4. आर्थिक असमानता कम करना भी नियोजित विकास का प्रमुख हिस्सा है। गरीब व अमीर के मध्य आर्थिक आधार पर दूरिया कम करना नियोजन का उद्देश्य है।
5. सम्पूर्ण राष्ट्र का विकास – नियोजन के माध्यम से सभी प्रान्तों व क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाना ही प्रमुख लक्ष्य है।
6. आय में वृद्धि, नियोजित प्रयासों से उत्पादन के अवसर बढ़ेगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी जिससे राष्ट्रीय आय में स्वाभाविक वृद्धि संभव होगी।
7. सामाजिक उन्नति भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। व्यवस्थित विकास से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा व यह प्रक्रिया सम्पूर्ण समाज को प्रगति की राह पर ले जाएगी।
8. राष्ट्रीय आत्म निर्भरता को संभव बनाने में नियोजन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। जीवन के हर क्षेत्र में व्यवस्थित प्रयासों से उन्नति स्वाभाविक है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय उन्नति व आत्म निर्भरता में परिवर्तित होगी।
9. सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने के नियोजित प्रयासों के लिए भी योजना निर्माण किया जाना आवश्यक है।
10. आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिकाओं को स्पष्ट करने व संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्य से नियोजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
11. जनकल्याण के कार्यों को करने की क्षमताएँ भी नियोजन से ही विकसित होती हैं।

## 1.3 भारत में नियोजन के लक्षण (Characteristics of Planing in India)–

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ केन्द्र व राज्यों में सरकारों का शान्तिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया द्वारा बदलाव स्वाभाविक स्वरूप धारण कर चुका है। सत्ता परिवर्तन के साथ सत्ताधारी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन की नीतियाँ राष्ट्रीय नियोजन व उसकी प्रकृति को प्रभावित करती है। नीति निर्माण व नियोजन की इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय हित कभी भी गौण नहीं हुआ है। संवैधानिक मूल्यों के अनुरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। नियोजन के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सात दशकों पर दृष्टिपात करें तो हमारे योजनागत ढाँचे में इन लक्षणों को हम विद्यमान पाते हैं –

### अच्छा नियोजन – राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक

1. उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग।
2. औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि।
3. कृषि एवं पशुपालन का समानान्तर विकास।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सम्प्रेषण क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना।
5. शासकीय कार्यतंत्र (नौकरशाही) में पारदर्शिता लाना।
6. भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना।
7. शिक्षा के क्षेत्र का आधुनिकीकरण व प्रसार।
8. बौद्धिक सम्पदा का समुचित उपयोग।
9. कौशल विकास पर ध्यान देने का नवीनतम लक्षण, हमारी नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं।

भारत में नियोजन की प्रकृति उतार–चढ़ाव वाली रही है। नीति नियंताओं के विचारों एवं अवधारणाओं ने भी इसे प्रभावित किया है। प्रारंभिक वर्षों में जहाँ यह अति केन्द्रीकृत व्यवस्था के रूप में दृष्टिगोचर होती है, आगे चलकर उदारवादी स्वरूप धारण कर लेती है। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे नियोजन पर दिखाई देता है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नियोजन की प्राथमिकताओं का सम्मिलन रहा है। सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे कृषि, पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ऊर्जा, साक्षरता, पर्यावरण हमारे नियोजन से ओझल नहीं हुए हैं।

## 1.4 नियोजन का विकास से सम्बन्ध ( The Interrelationship of Planning & Development) –

आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है। सहभागी तथा उत्तरदायी प्रबन्धन विकास की प्रथम सीढ़ी है और नियोजन संसाधनों व प्रशासन को सहभागी व उत्तरदायी बनाता है। पई पणंधीकर व क्षीर सागर ने विकास के लिए नीति निर्माणकर्त्ता के दृष्टिकोण की अभिवृत्ति–परिवर्तनशील परिणाम प्रदाता, सहभागिता एवं कार्य के प्रति समर्पणवादी होना आवश्यक माना है। महात्मा गाँधी, नियोजन का लक्ष्य 'अन्तिम व्यक्ति का विकास' कर संसाधनों के विकेन्द्रीकरण को प्राथमिकता देते है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'सबका साथ सबका विकास' का नारा इसी अवधारणा को सुदृढ़ करता है। विकास के मायने, लोगों के जीवन स्तर मे ंउन्नति से है। आज हम दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़े नजर आते है तो कहीं न कहीं नियोजित विकस की हमारी रणनीति सफल नजर आ रही है। विकास के नियोजित प्रयासों में 1950 से 2015 तक योजना आयोग ने अपनी केन्द्रीय भूमिका निभाई। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग' विकास के नियोजित प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।

## नीति आयोग (National Institution for Transforming India) (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)

नीति आयोग केन्द्र सरकार द्वारा एक जनवरी 2015 को गठित किया गया। यह पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठित किया गया। यह पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लेगा। नीति आयोग सरकार के 'थिंक टैंक' 'Think Tank' के रूप में काम करेगा तथा उसे निदेशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।

## 1.5 नीति आयोग गठन के आधार (Basis of Formation of NITI) –

1. विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना – राष्ट्रीय विकास में राज्य सहकारी संघवाद के समान सदस्य के रूप में योगदान देंगे।
2. देश में विद्यामान बौद्धिक सम्पदा का समुचित दोहन कर उन्हें पलायन से रोकना तथा सुशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केन्द्र एवं राज्यों का साझा मंच तैयार करना। राज्यों की आवश्यकताओं को विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सम्प्रेषण अभाव दूर कर प्रक्रियागत स्वरूप में हल करना।

## 1.6 उद्देश्य (Aims) –

1. राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति अयोग का 'विजन' प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को 'राष्ट्रीय एजेन्डा' का प्रारूप तैयार कर सौंपना है।
2. राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
3. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण के लिए ढाँचागत विकास की पहल।
4. नीति आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए है, उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितो को शामिल किया जाए।

5. समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देगा जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पाने की संभावनाएँ बनी रहती है।
6. विकास की दीर्घकालीन नीतियों तैयार की जाएगी। इन नीतियों की निरन्तर समीक्षा एवं मध्यावधि संशोधन भी किए जाएगे।
7. देश के बुद्धिजीवी एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में सक्रिय किया जाएगा। इनके परामर्श एवं योजनाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा।
8. विकास के एजेंडे में तेजी लाने के उद्देश्य से अन्तर क्षेत्रीय एवं अन्तर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा मंच प्रदान किया जाए।
9. सुशासन तथा सतत् व न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित कर अनुसंधान व अध्ययन द्वारा परिणामों पर पहुँचना।
10. कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा।
11. राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियाँ सम्पादित करना।

## 1.7 नीति आयोग का गठन –

1. **अध्यक्ष** – प्रधानमंत्री
2. **सदस्य गवर्निंग परिषद्/काउन्सिल** – समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएँ है के मुख्यमंत्री व अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल।
3. **क्षेत्रीय परिषदे** – एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार व निर्णयों हेतु विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद् गठन का प्रावधान है। ये परिषदे भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेगी तथा सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमंत्री व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उप राज्यपाल बैठक में भाग लेंगे। बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्षों या प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि करेगा।
4. **प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य** जो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता व जानकारी रखते हो।
5. **पूर्ण कालिक पदाधिकारी** –
   - उपाध्यक्ष – प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
   - पूर्णकालिक सदस्य – दो।
   - आंशिक सदस्य –
   - दो (बौद्धिक सम्पदा समूह से आवश्यकतानुसार)
   - पदेन सदस्य – केन्द्रीय मंत्री परिषद् के चार सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
   - मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सचिव स्तर का अधिकारी
   - सचिवालय – आवश्यकतानुसार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार है। दो पूर्णकालिक सदस्य डॉ. बिबेक देवरॉय व डॉ. वी.के सारस्वत है।

## महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- योजना आयोग केन्द्र सरकार द्वारा गठित और संवैधानिक निकाय था जिसका गठन केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने 1950 में किया।
- नियोजन के उद्देश्य – संसाधनों का समुचित उपयोग, बेरोजगारी दूर करना, कौशल विकास, राष्ट्रीय विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आत्म निर्भरता व जनकल्याण है।
- नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया।
- नीति आयोग सरकार के 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करता है।
- बौद्धिक सम्पदा के उचित दोहन का नीति आयोग ने व्यवस्थित प्रयास प्रारम्भ कर दिया है।
- भारत के प्रधानमंत्री 'नीति आयोग' के पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष एवं दो पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं।
- गवर्निंग काउन्सिल के सदस्य सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार है।

## अभ्यास प्रश्न

### बहुचयनात्मक प्रश्न

1. नीति आयोग का गठन कब हुआ ?
   (अ) 1 मार्च 2015 (ब) 1 जनवरी 2015
   (स) 1 अप्रैल 2015 (द) 1 मार्च 1950 ( )
2. नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं –
   (अ) प्रधानमंत्री (ब) राष्ट्रपति
   (स) मुख्य न्यायाधीश (द) राज्य के राज्यपाल ( )
3. 'प्लान्ड इकोनोमी फोर इण्डिया' नामक पुस्तक के लेखक थे –
   (अ) आशिर्वादम् (ब) अमर्त्यसेन
   (स) एम. विश्वेश्वरैया
   (द) डॉ. अरविन्द पनगड़िया ( )
4. इनमें से कौन नीति आयोग गवर्निंग काउन्सिल के सदस्य है –
   (अ) दिल्ली के उप राज्यपाल
   (ब) राजस्थान के मुख्यमंत्री
   (स) मध्यप्रदेश के राज्यपाल
   (द) उपरोक्त सभी ( )
5. वर्तमान में हमारे देश में नियोजन का कार्य कौनसी

संस्था कर रही है –
(अ) योजना आयोग (ब) वित्त आयोग
(स) संघ लोक सेवा आयोग (द) नीति आयोग ( )

## अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. योजना आयोग की स्थापना कब की गई ?
2. NITI (नीति) आयोग का अंग्रेजी में पूरा नाम बताइए ?
3. नीति आयोग में पूर्ण कालिक सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है ?
4. क्षैत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ?
5. 'सबका साथ, सबका विकास' नारा किसने दिया ?

## लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. नियोजन क्या है ?समझाइये
2. अच्छे नियोजन के चार लक्षण बताइए।
3. नीति आयोग के उपाध्यक्ष व स्थाई सदस्यों के नाम बताइए।
4. भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?समझाइये
5. 'बौद्धिक सम्पदा' के दोहन का व्यवस्थित प्रयास नीति आयोग ने किस रूप में प्रारम्भ किया है ?

## निबन्धात्मक प्रश्न

1. नियोजन क्या है ?इसकी आवश्यकता व उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डालिए।
2. नीति आयोग के गठन व उद्देश्यों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीमांसा कीजिए।
3. देश की वर्तमान जरुरतों के परिप्रेक्ष्य में 'नीति आयोग' के सशक्तिकरण हेतु अपने सुझाव दीजिए।

## बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. ब 2. अ 3. स 4. ब
5. द

# 2. पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन
# (Environment & Natural Resources)

**"माता भूमि : पुत्रोऽहम् पृथिव्या"**

धरती हमारी माता है हम सब उसके पुत्र हैं।

मानवीय जीवन के आरम्भ से ही मनुष्य एवम पर्यावरण में आपसी सम्बन्ध बना हुआ है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः उसके अस्तित्व के लिए प्राकृतिक परिवेश अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ कहा गया है। पृथ्वी माता के रूप में सम्पूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का पालन पोषण करती है। अतः इसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है। भारतीय समाज आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। जैन धर्म में अहिंसा को परमधर्म मानते हुए जीव संरक्षण को आवश्यक बताया गया है। राजस्थान के बिश्नोई सम्प्रदाय जो बीस+ नौ = बिश्नोई, 29 सूत्रों को मानते हैं ये सूत्र प्रकृति संरक्षण हेतु बहुमूल्य नियम हैं। 21 सितम्बर 1730 को राजस्थान के खेजड़ली गांव में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अमृतादेवी के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहूति यह कहते हुए दे दी थी कि " सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण" अर्थात हमारे सिर के बदले अगर वृक्ष जीवित रहता है, तब भी हम इसके लिए तैयार हैं।

## 2.1 पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता (The Need of Environmental Conservation) –

वर्तमान में मनुष्य प्रगति की ओर उन्मुख है। वह प्रतिदिन वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक क्षेत्र में उन्नति कर विकास की ओर बढता जा रहा है दूसरी ओर यही विकास की गति हमारे लिए कष्टकारी सिद्ध हो रही है। इस विकास के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वनों की कटाई, वनस्पति व जीवों के संबंधों में कमी, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण में वृद्वि, तकनीकी का अप्रत्याशित प्रसार, जनसंख्या विस्फोट, परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाले रेडियो धर्मी ईंधन की राख, इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ रहा है। प्रकृति के दोहन के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसमें, प्रकृति कब तक मनुष्य का साथ दे पायेगी यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। धरती का तापमान निरन्तर बढते रहने से ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।

एक ओर जहां दुनिया की आबादी बढ़ रही है दूसरी ओर आबादी बढने से कृषि योग्य भूमि का न केवल क्षेत्रफल कम होता जा रहा है बल्कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। पशुओं हेतु चारागाहों की कमी से दूध उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कृषि उत्पादन में कमी से बढती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवा पाना सभी देशों की सरकारों के समक्ष मुख्य चुनौती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की एक अरब बीस करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। यहां की दो अरब साठ करोड़ आबादी साफ सुविधा से वंचित रहने के कारण 30 लाख से अधिक बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। विश्व में 97 प्रतिशत जल महासागर व समुद्रों में खारे जल के रूप में विद्यमान है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपयुक्त है।

## 2.2 ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) –

वैश्विक तापमान यानि ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसे कम करने हेतु दुनियाभर में प्रयास जारी हैं, किन्तु समस्या कम होने की बजाय साल दर साल निरन्तर बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से पहले हमें ग्रीन हाऊस प्रभाव को समझना होगा। ग्रीन हाऊस उस कमरे को कहते हैं जिसमें पौधे पैदा किये जाते हैं। इस कक्ष की दीवारें उष्मारोधी पदार्थों तथा छत ऐसे कांच की दीवारों से बनी होती है जिसमें सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा पौध घर में प्रवेश कर जाये किन्तु उष्मा बाहर नहीं निकल सके। इस से पौध घर का तापमान शीत ऋतु में भी कम नहीं होने से उसमें अधिक तापमान में वृद्धि करने वालें पौधे आसानी से उगाये जा सकते हैं। पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढना भी इसी प्रकार से होता है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से उष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमण्डल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं फिर परावर्तित (रिफेलेक्शन) द्वारा पुनः लौट जाती हैं। धरती का वायुमण्डल कई गैसों से मिल कर बना है। इनमें से अधिकांश गैसें धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती है। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को उस तरह से रोके रखता है जैसे ग्रीन हाऊस मे कांच की दीवारें। वायुमण्डल के बढते तापमान की तुलना इसीलिए ग्रीन हाऊस से की जाती है क्योंकि पृथ्वी से परावर्तित सौर किरणों के लिए ये प्रदूषणकारी वायुमण्डलीय गैसें उष्मारोधी दीवार की भूमिका निभाती हैं एवं धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। इससे पृथ्वी एक गर्म गैस युक्त कमरे के समान हो जाती है। इस तरह की गैसों को ग्रीन हाऊस गैस के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रमुख हैं– कार्बन डाईआक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन गैसों के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान निरन्तर बढता है। यही ग्लोबल वार्मिंग है।

## 2.3 ग्लोबल वार्मिंग के कारण (Causes of Global Warming)

ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियां ही हैं। अपने आप को इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने वाला मनुष्य अनजाने में या जानबूझकर अपने ही रहवास (हैबिटेट, रहने का स्थान) को

खत्म करने पर तुला हुआ है। मनुष्य जनित इन गतिविधियों से कार्बन डाईआक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन आक्साइड इत्यादि ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है जिससे इन गैसों का आवरण घना होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है जिससे धरती के तापमान मे वृद्धि हो रही है। वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों (प्लांटस), उद्योगों इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाईआक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। जंगलों का बडी संख्या मे हो रहा विनाश इसका दूसरा कारण है। जंगल कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से यह प्राकृतिक नियंत्रक भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। इसकी एक अन्य वजह सीएफसी है जो रेफ्रिजिरेटर, अग्निशामक यंत्रों इत्यादि में प्रयोग की जाती है। यह धरती के ऊपर बने प्राकृतिक आवरण ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी (अल्ट्रावायलेट) किरणों को धरती पर आने से रोकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ओजोन परत मे एक बड़ा छिद्र (होल) हो चुका है जिससे पराबैंगनी किरणें (अल्टा वायलेट रेज) सीधे धरती पर पहुंच रही हैं और इस तरह से उसे लगातार गर्म बना रही हैं। यह बढते तापमान का ही नतीजा है कि ध्रुवों पर सदियों से जमी बर्फ भी पिघलने लगी है। विकसित या हो अविकसित देश, हर जगह बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है। बिजली के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। इसके जलने पर कार्बन डाईआक्साइड पैदा होती है जो ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को बढ़ा देती है। इसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आता है।

## 2.4 ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव (Effects of Global Warming) –

**वातवरण का बढ़ता तापमान** – पिछले दस सालों में धरती के औसत तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्शियस की बढ़ोतरी हुई है। आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में और बढ़ोतरी ही होगी। 1895 के बाद साल 2012 को सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया।

**समुद्र सतह में बढ़ोतरी** – ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ रहा है। इससे ग्लैशियर पर जमा बर्फ पिघल रही है। कई स्थानों पर तो यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ग्लैशियरों की बर्फ के पिघलने से समुद्रों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे साल दर साल उनकी सतह में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। समुद्रों की सतह बढ़ने से प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाएगा जिससे इनका एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। इस प्रकार तटीय (कोस्टल) इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। अभी तक समुद्री जल स्तर बढने से दुनिया के 18 द्वीप जलमग्न हो चुके हैं। भारत में ही 54 द्वीपों के समूह सुन्दर वन पर खतरा मंडरा रहा है। ऑकलैण्ड न्यूजीलैण्ड दस लाख की आबादी वाला किरिबाती द्वीप भी संकट में है। भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित दुनिया का सबसे बडा द्वीप माजुली बाढ के कारण खतरे में हैं, इसका क्षेत्रफल 1287 वर्ग किमी से घटकर 557 वर्ग किमी रह गया है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से 2020 तक 14 द्वीप पूरी तरह समाप्त होने संभावित है।

**मानव स्वास्थ्य पर असर** – जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढने से मलेरिया, डेंगू और यलो फीवर जैसे संक्रामक रोग बढ़ेंगे। वह समय भी जल्दी ही आ सकता है जब हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताजा भोजन और श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो।

**पशु पक्षियो व वनस्पतियों पर असर** – ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी और वनस्पतियॉं धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान (रवाना होना) करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे।

**शहरों पर असर** – गर्मी में अधिक गर्मी एवं सर्दी में अधिक सर्दी पड़ने पर घरों में एयर कंडिशनर का प्रयोग बढ़ रहा है जिससे न केवल ऊर्जा की खपत बढ़ रही बल्कि वातावरण में सीएफसी गैस की मात्रा बढ़ने से ओज़ोन परत पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

## 2.5 ग्रीन हाउस गैस के मुख्य कारक (Main Contributors of Green House Gas Emission)

1. पावर स्टेशन से – 21.3 प्रतिशत
2. इंडस्ट्री से – 16.8 प्रतिशत
3. यातायात और गाड़ियों से – 14.4 प्रतिशत
4. खेती–किसानी के उत्पादों से – 12.5 प्रतिशत
5. जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल से – 11.3 प्रतिशत
6. रहवासी क्षेत्रों से – 10.3 प्रतिशत
7. बॉयोमॉस जलने से – 10.0 प्रतिशत
8. कचरा जलाने से – 3.4 प्रतिशत

## 2.6 ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय (Steps To Stop Global Warming)–

ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाकर ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए–

1. यह जरूरी है कि हम अपने आसपास का पर्यावरण हरा भरा रखें।
2. कार्बनिक ईंधन के प्रयोग में कमी लाई जाए।
3. कार्बन मुक्त ऊर्जा संसाधन जैसे सूर्य,वायु,नाभिकीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जावें।
4. वन क्षेत्रों की कटाई रोकने के समुचित उपाय किये जाए।

## 2.6 जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिन्तन (Global Perspective of Climate Change)

जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन के अस्तित्व और विकास से जुड़ी एक गंभीर वैश्विक समस्या है जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में बड़े पैमाने पर उथल–पुथल प्रत्याशित है, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के द्वीपों का अस्तित्व तो संकटग्रस्त हो ही रहा है, यह मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव के साथ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़,सूखा, समुद्री तूफान आदि की आवृति भी बढ़ा रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण कई प्रकृतिजन्य संकट हमारे समक्ष खड़े हो रहे हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओज़ोन परत में छेद हो जाने के कारण इसकी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता घट रही है। कुल मिलाकर प्रकृति के निर्मम संहार के चलते उत्पन्न जलवायु परिवर्तन आज विश्व के समक्ष ज्वलंत और मुखर चुनौती बन गई है। इस दिशा में दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहली बार वैश्विक स्तर पर 5 से 16 जून, 1972 के मध्य स्टॉकहोम (स्वीडन) में मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। इसमें विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन की दसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 10 से 18 मई, 1982 को नैरोबी (केन्या) में राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न कार्य योजनाओं का एक घोषणा–पत्र स्वीकृत किया गया।

स्टॉकहोम सम्मेलन की बीसवीं वर्षगांठ पर 3 से 14 जून, 1992 को रियोडिजनेरियो (ब्राजील) में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण एवं विकास को अनिवार्यतः स्वीकार करते हुए पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी देशों के सामान्य अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को सैद्धांतिक रूप से परिभाषित किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक प्रयासों हेतु जलवायु परिवर्तन पर युनाईटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाईमेट चेन्ज (यूएनएफसीसीसी) नामक संधि हस्ताक्षरित की गई जिसके तहत जलवायु परिवर्तन पर पहला संयुक्त सम्मेलन (Cop1) वर्ष, 1995 में बर्लिन (जर्मनी) में हुआ था तब से अब तक इसके बीस वार्षिक सम्मेलन हो चुके है।

## 2.7 संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014

जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–20 (20th Session of the Conference of the parties to the UNFCCC) पेरू की राजधानी लीमा में 1 से 14 दिसम्बर 2014 तक आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं–

1. दुनिया के 194 देशों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए 12,500 राजनीतिज्ञ, राजनयिक, जलवायु कार्यकर्त्ता एवं मीडियाकर्मियों ने भाग लिया और जलवायु परिवर्तन की समस्या एवं उसके समाधान पर गंभीर चर्चा की गई। पेरू के पर्यावरण मंत्री मैनुएल पुलगर विदाल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और सम्मेलन को सुंयक्त राष्ट्र के महासचिव 'बान–की–मून' ने भी संबोधित किया। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया।
2. इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति वाले प्रारूप की स्वीकृति रही है जिसमें भारत सहित विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया गया है।
3. सम्मेलन में भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए बने सहमति प्रारूप में भारत की सभी बातों को मानते हुए विकासशील देशों की चिन्ताओं का समाधान किया गया है। अमीर देशों को अधिक कठोर वित्तीय मदद की प्रतिबद्धतायें करने व 2020 में हरित जलवायु कोष बढ़ाकर 100 अरब डालर प्रतिवर्ष करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है।
4. समझौते के अनुसार सभी संयुक्त राष्ट्र संघ देश अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को पेरिस सम्मेलन मे प्रस्तुत करेंगे।

## 2.8 संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015

सुंयक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पैरिस में 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2015 में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर सयुंक्त राष्ट्र संघ UNFCCC दलों का यह 21वीं वार्षिक सत्र होने के कारण इसे Cop21 के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य बिन्दु निम्न हैं :–

1. पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रेल को भारत सहित 175 देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्ताक्षर किये। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2. यह किसी एक दिन में विश्व के इतनी बड़ी संख्या में देशों की ओर से किसी समझौते पर हस्ताक्षर का रिकॉर्ड है। इससे पहले 1982 में 119 देशों ने समुद्री सुरक्षा से जुड़ी संविदा पर हस्ताक्षर किए थे।
3. पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों को अपने देश की संसद से इस समझौते का अनुमोदन कराना होगा।
4. विश्व में कम से कम 55 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार 55 देशों के अनुमोदन करने के 30 दिनों के भीतर यह अस्तित्व में आ जाएगा।
5. समझौते के तहत सदस्य देशों ने 21वीं सदी में दुनिया के तापमान में वृद्धि दो डिग्री से कम स्तर तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है।
6. भारत ने जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में कटौती के साथ 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
7. पेरिस समझौता विकासशील देशों के विकास की अनिवार्यताओं को सुनिश्चित करता है।

भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर टिवट्र के माध्यम से टिप्पणी की है कि " पेरिस समझौते में ना कोई विजेता है न ही किसी की हार हुई है पर्यावरण को लेकर न्याय की जीत हुई है। हम सब एक हरे भरे भविष्य पर काम कर रहे हैं।'' जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कर रहे फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस समझौते को 'धरती के लिए महान दिन' कहा उन्होने कहा कि पेरिस में कई शताब्दियों से अनेक क्रांतियां देखी है आज सब से खूबसूरत व शांति पूर्ण क्रांति हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव बान की मून ने कहा कि यह कदम न केवल धरती के पर्यावरण को बचायेगा बल्कि गरीबी का अंत करेगा और विकास को बढावा देगा। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा यह एक समझौता नहीं, सात अरब लोगों के जीवन में एक नया अध्याय है। गांधी जी कहा करते थे कि हमें यह धरती अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों ने इसे हमें कर्ज में दिया है।

पण्डित दीनदयाल की जयन्ती 25 सितम्बर 2016 के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत में पेरिस समझौते की सभी शर्तो को 2 अक्टूबर 2016 को लागू कर दिया जायेगा और इसी अनुसार 2 अक्टूबर 2016 को भारत में इस समझौते की क्रियान्विति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

## 2.9 भारतीय संविधान व पर्यावरण संरक्षण (Conservation of Environment & Indian Constitution)

हमारे देश में पर्यावरण के अनुकूल एक समृद्ध संस्कृति रही है यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता देते हुए इसे सरकार और नागरिकों के संवैधानिक दायित्व के साथ जोड़ा गया। संसद द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों को पारित करते हुए संविधान के भाग–4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों व मूल कर्त्तव्यों में सम्मिलित किया गया है। इसमें यह कहा गया है:–

1. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा।
2. संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51क में मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन,झील नदी अन्य जीव भी हैं इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए, जो उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुँचाती हो।
4. भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 252 व 253 को काफी महत्त्वपूर्ण माना गया है क्योंकि व पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिये अधिकृत करते हैं।

भारतीय संविधान में न सिर्फ पर्यावरण को बचाने की अवधारणा निहित है बल्कि पर्यावरण असंतुलन से होने वाले दुष्प्रभावों से रक्षा करने हेतु भी ध्यान दिया गया है। संसद ने इस हेतु अनेक अधिनियम पारित किये हैं इन में से प्रमुख हैं:–

**1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986** — इस अधिनियम को 23 मई 1986 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस अधिनियम में प्रदूषण को निर्धारित मानदण्डों का प्रथम बार उल्लंघन करने वाले को 5 वर्ष की कैद व एक लाख के जुर्माने का प्रावधान है। मानदण्डों का निरन्तर उल्लंघन करने पर दैनिक 5 हजार रूपये जुर्माना व 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। नियमों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति दो माह का नोटिस देकर जन हित में मुकदमा कर सकता है। केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम की धारा 5 के तहत प्राधिकृत है कि अपनी शक्तियों के निष्पादन हेतु स्थापित प्राधिकारियों को लिखित निर्देश दे। केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि अधिनियम की पालना न

करने वाले उद्योगों को बंद करवाने एवम बिजली पानी सेवायें रोकने के निर्देश दे सकती है।

**2. वायुप्रदूषण (निवारण व नियंत्रण) अधिनियम 1981** — इस अधिनियम से राज्य सरकार अपने विवेक से किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। समस्त औद्योगिक इकाइयों को राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने पर उद्योग बंद कराये जा सकेंगे व विद्युत जल कनेक्शन भी विच्छेद करवा सकेंगे।

**3. जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम 1974 संशोधन 1988** — इस अधिनियम की मुख्य विशेषता जल को प्रदूषण मुक्त रखने के उपायों से सम्बन्धित है। उद्योग की स्थापना से पहले प्रदूषण कर्ताओं को कड़े दण्ड व शास्ति का प्रावधान है।

**4. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 संशोधन** — वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 9 सितम्बर 1972 को पारित किया गया। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम एक मील का पत्थर है। इस अधिनियम द्वारा वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषतांये निम्नानुसार हैः—

1. वन्य पशुओं के संरक्षण व प्रबन्धन को सुनिश्चित करना।
2. पशु शिकार उनके चमड़े व चमड़े से बनी वस्तुयें निषिद्ध करना।
3. अवैध आखेट की रोकथाम, वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करना।
4. उल्लंघन पर अपराधियों को 3—5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माना।

राष्ट्रीय पशु बाघ व मोर के शिकार पर संबंधित अपराधी को 10 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है।

## 2.10 पर्यावरण संरक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण न्यायिक फैसले (Environment Conservation – Important Judicial Decisions)

पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिये हमारी न्यायपालिका ने हमेशा तत्परता दिखाई है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

1. सभी सिनेमाहॉल, चल सिनेमा तथा वीडियो पार्लर अनिवार्य रूप से कम से कम दो पर्यावरण संबंधी फिल्म का संदेश अनिवार्य रूप से प्रत्येक शो में निःशुल्क दिखाएँगे। यह उनके लिये लाइसेंस जारी करते समय पूर्व शर्त होगी।
2. सिनेमा हॉलों द्वारा लघु अवधि को पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी सूचनाप्रद फिल्म दिखाना।
3. पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी रुचिकर कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन 5 से 7 मिनट अवधि के लिये तथा सप्ताह में एक बार लंबी अवधि के लिये दूरदर्शन तथा रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाए।
4. छात्रों में सामान्य जागृति लाने के लिये पर्यावरण को विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए।
5. सन 1996 मे उच्चतम न्यायालय ने संघीय सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों को दिल्ली के ऐतिहासिक नगर को प्रतिदिन साफ करने, सघन वानिकी अभियान को चलाने तथा आरक्षित वन कानून लागू करने के आदेश दिए।
6. उच्चतम न्यायालय ने जन समस्या तथा आगरा—ताजमहल की विश्व धरोहर को बचाने के लिये 292 कोयला आधारित उद्योगों को बंद करने या अन्यत्र ले जाने या गैस ईंधन आधारित बनाने के उद्देश्य से आदेश पारित किए। न्यायालय में (1999 में) सचिव, पर्यावरण वन मंत्रालय तथा सचिव, पर्यटन मंत्रालय को निर्देश दिया कि पर्यटकों से एकत्र किया गया कोष (लगभग 20 करोड़) स्मारक के संरक्षण तथा नगर के सौंदर्यीकरण व्यय किया जाएगा।
7. उच्चतम न्यायालय ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।
8. सन् 2000 से चार महानगरों, दिल्ली,मुंबई, कोलकाता,चेन्नई में सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाए।
9. दिल्ली में अप्रेल सन् 2001 में टैक्सियों, ऑटोरिक्शा तथा बसों में सीएनजी का प्रयोग हुआ।
10. सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेघ किया जाए।

## 2.11 पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्त्वपूर्ण दिवस

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | विश्व पर्यावरण दिवस | — | 5 जून |
| 2. | पृथ्वी दिवस | — | 22 अप्रैल |
| 3. | विश्व ओजोन दिवस | — | 16 सितम्बर |
| 4. | वन महोत्सव | — | 28 जुलाई |
| 5. | विश्व जल दिवस | — | 22 मार्च |

## 2.12 उपभोक्तावादी संस्कृति (Culture of Consumerism)

उपभोक्तावाद एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है। उसे बस सही तरीके से जरूरी वस्तुओं के रूप में बाजार में स्थापित करना है। उद्योगपति अपने निजी लाभ के लिए जो वस्तुयें बाजार में बेचते हैं, उसके प्रति ग्राहकों को

आकर्षित करने के लिए उनके मन में कृत्रिम इच्छाओं को जागृत करते हैं। ग्राहक को महससू होता है कि इस वस्तु के बिना तो उसका काम चल ही नहीं सकता। यहीं से अपव्ययपूर्ण उपभोग की शुरुआत हो जाती है। विकसित देशों में विश्व की एक चौथाई आबादी निवास करती है किन्तु विश्व के कुल संसाधनों का तीन चौथाई उपभोग इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 5 प्रतिशत होते हुए भी विश्व के कुल पैट्रोलियम उत्पादों का 20 प्रतिशत व्यय अमेरिकी उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। इसी तरह विकसित देशों में घरों, वाहनों में भी एअर कंडीशनरों का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है। इन कारणों से ग्रीन हाऊस गैसों के प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है।

कमोबेश सभी विकसित व विकासशील देशों की स्थिति अमरिका जैसी ही है। पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध में भारत सहित अन्य विकासशील देश आ चुके हैं। इस सोच को विकसित करने में विज्ञापनों की अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ दशकों से "आपूर्ति का अर्थशास्त्र" "Supply Side Economies" की अवधारणा खूब चल रही है कि माल बनाते रहो ग्राहक तो मिल ही जायेंगे। जहां ग्राहक तैयार नहीं है वहां विज्ञापनों द्वारा आकर्षण पैदा करके ग्राहक तैयार किये जाएं। अधिकाधिक औद्योगिक उत्पादन की इस होड़ मे सरकारों व बैंकों का समर्थन भी मिल रहा है। निरन्तर अनावश्यक खरीददारी से उपभोक्ता के जेब, पर्स, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड खाली होने के बाद आर्थिक संकट (दिवालियेपन) का शिकार हो रहे हैं। साथ ही इन उत्पादों का जीवनकाल (Life Span) कम होता जा रहा है। इससे पुराना सामान शीघ्र अनुपयोगी हो जाता है, नया उत्पाद बिक्री के लिए आ जाता है। वर्तमान के मुकाबले एक उत्पाद का औसत जीवनकाल 1980 के दशक में तीन गुना अधिक होता था। इसके साथ साथ उत्पादों की पैकिंग सामग्री व डिस्पोजेबल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा मिलने से अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण दुनिया के समक्ष चुनौती बन गया है। इन उत्पादों को तैयार करने में प्राकृतिक संसाधनों खनिज, वन, पानी, ऊर्जा स्त्रोतों का भरपूर दोहन हो रहा है। यह प्रणाली प्रकृति के मूल्यवान व स्वास्थ्यप्रद स्त्रोतों को नष्ट करके वातावरण को प्रदूषित कर रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का सृजन नहीं किया जा सकता, उन्हे बढ़ाना तो असंभव है। वर्तमान औद्योगिक विकास एक ऐसा व्यवसाय चला रहा है जो अपनी ही जमा पूंजी खर्च किये जा रहा है। पर्यावरण वादियों का यह मानना है कि किसी राष्ट्र के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जी.एन.पी. की गणना करते समय उन संसाधनों का भी हिसाब लगाया जाये जिन्हे औद्योगिक प्रणाली नष्ट कर रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों की खपत हम वर्तमान दर से करते रहे तो भूगर्भ में उपलब्ध ताम्बा 277 साल में, कोबाल्ट व प्लेटिनम 400 साल में, पैट्रोल 49 साल में, पैट्रोलियम गैस 60 साल में, कोयला कुछ सौ सालों में धरती से गायब हो जायेंगे। आज विश्व में एक साल में जितना ऊर्जा स्त्रोतों पेट्रोल, कोयला व प्राकृतिक गैस का प्रयोग हो रहा है, उसे तैयार करने मे प्रकृति को दस लाख साल लगे हैं। अतः हमें इस बात को समझना होगा कि उपभोक्तावादी संस्कृति में ऐशोआराम के इतने साधन जुटाने के बावजूद सही मायने में मनुष्य संतुष्ट या सुखी नहीं है। उपभोक्तावाद की इस संस्कृति में मनुष्य निरन्तर नई आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा रखने के कारण मानसिक तनाव का शिकार हो रहा है।

हमारी संस्कृति में आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए संयमित व सात्विक जीवन शैली अपनाने की जो बात कही गई है वह आज न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रासंगिक है। धरती किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली है बल्कि यह भावी पीढ़ियों की धरोहर है। अतः हम वर्तमान प्राकृतिक साधनों को सुरक्षित रखने के दायित्व से बंधे हैं।

## निष्कर्ष (Conclusion)

आज के दौर में मानव विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि उसे अपने पर्यावरण की ओर देखने का समय नहीं है। वह यह भूलता जा रहा है कि उसे पृथ्वी पर रहना है। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध अपने पर्यावरण के प्रति सजगता, जागरूकता, चेतना और पर्यावरण अनुकूलन को विकसित करने की आवश्यकता है और तभी इस गंभीर समस्या का समाधान किया जा सकता है। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की भी है कि मनुष्यों द्वारा पर्यावरण के साथ समन्वयात्मक, सहयोगात्मकता और सामंजस्य पूर्ण संबंध को अपनाया जाए। साथ ही साथ हम अपने शास्त्रों और प्राचीन संस्कृति को अपनाएँ और अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों का पालन करें।

## महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- राजस्थान के खेजड़ली गांव में बिश्नोई समुदाय के 363 लोगों ने अमृतादेवी के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहूति यह कहते हुए दे दी कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण।
- पृथ्वी का तापक्रम बढने के लिए ग्रीन हाउस गैसें उत्तरदायी हैं।
- ग्रीन हाऊस गैसें है– क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाईआक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन आक्साइड आदि।
- ग्लोबल वार्मिंग विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। इसके प्रभाव से वातावरण का तापमान बढ़ रहा है जिससे ध्रुवों पर ग्लेशियर पिघल रहे है। परिणामस्वरूप समुद्र का जल स्तर बढने से तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा हो गया है। मानव स्वास्थ्य व जीव जन्तु पर इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं।
- ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना होगा। ऊर्जा के कार्बन मुक्त संसाधन सूर्य, वायु, नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

- प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन, मृदा संसाधन।
- जलवायु परिवर्तन पर विश्व स्तर पर सबसे पहला सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 को स्टाक होम (स्वीडन) में हुआ।
- जलवायु परिवर्तन पर युनाइटेड नेशंस संघ फ्रेमवर्क कन्वेशन आन कलाइमेटिक चेंज (UNFCC) पहली संधि 1995 में बर्लिन में की गई। तब से अब तक हर वर्ष यूएनएफसीसी के सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं।
- दिनांक 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2015 तक पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का 21वां सम्मेलन आयोजित किया गया।
- पेरिस समझौते में पृथ्वी का तापक्रम 20 सेल्सियस से कम रखने के उपाय किये जायेंगे।
- भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 4बी में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण सुधार व संरक्षण की व्यवस्था करेगा।
- संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 में मूल कर्त्तव्यों में वन,झील, नदी की रक्षा व संवर्धन को सम्मिलित किया गया है।
- संसद ने पर्यावरण असंतुलन के प्रभावों से रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम संशोधन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधन आदि अधिनियम पारित किये है।
- उपभोक्तावादी संस्कृति से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है।

## अभ्यास प्रश्न

### बहुचयनात्मक प्रश्न

1. अन्तर्राष्ट्रीय ओजो़न दिवस मनाया जाता है :–
   (अ) 16 सितम्बर (ब) 16 अक्टूबर
   (स) 16 नवम्बर (द) 16 दिसम्बर ( )
2. विश्व जल दिवस मनाया जाता है–
   (अ) 12 मार्च (ब) 22 मार्च
   (स) 12 अप्रैल (द) 22 अप्रैल ( )
3. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP–21 किस स्थान पर आयोजित किया गया।
   (अ) क्योटो (जापान) (ब) लीमा (पेरू)
   (स) पैरिस (फ्रांस) (द) रियोडिजेनरियों (ब्राजील) ( )
4. निम्न में से धात्विक खनिज है–
   (अ) जिप्सम (ब) ग्रेनाइट
   (स) रॉक फास्फेट (द) जस्ता ( )

### अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. बिश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गांव में व कब हुई?
2. बिश्नोई समाज की किस महिला ने सबसे पहले वृक्ष रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहूति दे दी?
3. सी.एफ.सी. गैस का पूरा नाम लिखे।
4. पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
5. विश्व पर्यावरण दिवस कब मानया जाता है?
6. आणविक ऊर्जा में काम आने वाले मुख्य रासायनिक तत्व का नाम लिखिये।
7. राजस्थान मे पन बिजली उत्पन्न करने वाले किन्हीं स्थानों के नाम लिखें।
8. यू.एन.एफ.सी.सी.सी. का पूरा नाम लिखें।

### लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को किस तरह महत्त्व प्रदान किया गया।
2. "सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण" इस सम्बन्धित घटना का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।
3. ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय सुझाइये।
4. विश्व के किनहीं तीन मरुस्थलो का नाम लिखें।
5. पैरिस समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
6. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मे सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कौनसे संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं।
7. उपभोक्तावादी संस्कृति किस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुॅचा रही है?संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

### निबंधात्मक प्रश्न

1. ग्लोबल वार्मिंग से क्या अभिप्राय है?इसके कारणों की व्याख्या करते हुए पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
2. भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण हेतु किये गये प्रावधानों का विस्तृत वर्णन करें।
3. जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिन्तन पर लेख लिखिये।
4. उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण व इससे पर्यावरण व मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत विवेचना कीजिए।
5. पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों का वर्णन कीजिए।

### बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. अ 2. ब 3. स 4. स

# 3. भारत और वैश्वीकरण
# (India & Globalisation)

बींसवी शताब्दी के अंतिम दशक में संचार क्रान्ति ने समूचे विश्व को एक ' वैश्विक गाँव ' में तब्दील कर दिया। इस युग में वैश्वीकरण का एक नई अवधारणा के रूप में सूत्रपात हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विचारधारा के आधार पर विश्व दो भागों में बंट गया। एक ओर पूँजीवाद, निजीकरण और उदारवाद का समर्थन करने वाले देश थे, जबकि दूसरी तरफ साम्यवाद व समाजवादी विचारधारा वाले देश थे। प्रथम गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरीका कर रहा था वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों के मध्य पारस्परिक राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध न के बराबर थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोनों गुटों के सभी देश सदस्य थे किन्तु सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय संघ और उनके समर्थक देश विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा व्यापार व टैरिफ सामान्य समझौता (GATT) जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे।

इन साम्यवादी देशों में निरकुंश सत्ता और स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी, जबकि पूँजीवादी गुट में निजी स्वामित्व और बाजारोन्मुखी अर्थ व्यवस्था विद्यमान थी। साम्यवादी व्यवस्था में गरीबी, आर्थिक विषमता और शोषण को दूर करने की संभावनाएँ अन्तर्निहित थी लेकिन स्वतंत्रता, प्रेरणा और समृद्धि की संभावना न के बराबर थी। नौकरशाही तंत्र पूरी तरह से साम्यवादी व्यवस्थाओं पर हावी था। जबकि पूँजीवाद स्वतंत्रता प्रेरणा और विकास का स्वप्न दिखाकर अर्द्धविकसित एवं विकासशील देशों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा हुआ था लेकिन गरीबी और शोषण को दूर करने के प्रति गम्भीर नहीं था। दोनों विचारधाराओं ने अपना–अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए उचित–अनुचित उपाय अपनाए। फलस्वरूप दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध आरम्भ हो गया। पूँजीवादी गुट के नेता अमेरीका को यह आभास हो गया कि जहाँ–जहाँ गरीबी, विषमता और पूँजीवाद के तत्व मौजूद होंगे वहाँ–वहाँ साम्यवाद तेजी से पनप सकता है। अतः उन्होंने अपने वर्चस्व वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इन देशों में गरीबी और असमानता को दूर करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिए। साम्यवादी गुट के पास न तो इतने साधन थे और न सामर्थ्य कि, वे गरीबी व असमानता का निवारण कर सके। साम्यवादी देशों की प्रशासनिक अव्यवस्था एवं हथियारों की अन्धाधुन्ध होड़ के कारण आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही थी। इसी दौर में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोव ने आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को साम्यवाद और विश्व के लिए समय की मांग बताया। परिणामस्वरूप सोवियत संघ 1991 में कई टुकड़ों में बंट गया। इस प्रकार साम्यवादी गुट व विचारधारा की पराजय हुई और अमेरीका के नेतृत्व में पूँजीवादी गुट व विचारधारा की विजय हुई। पश्चिमी पूँजीवादी देशों ने यह महसूस किया कि जिन देशों के साथ उनके आर्थिक सम्बन्ध नहीं है उनके साथ नवीन सम्बन्ध बनाने से उनकी समृद्धि नई ऊँचाईयाँ छू सकती है। साम्यवादी के समर्थकों और एशिया व अफ्रीका के साथ अनेक पिछड़े देशों के लिए अब यही विकल्प बचा था कि वे अपने विकास के लिए बाजारोन्मुखी व्यवस्था को अपनाए। परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश देशों ने स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था को छोड़कर निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण से प्रेरित बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपना लिया।

## 3.1 वैश्वीकरण का अर्थ
## (Meaning of Globalisation) –

वैश्वीकरण का अर्थ है अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व व्यापार का खुलना, उन्नत संचार साधनों का विकास, वित्तीय बाजारों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनी का महत्त्व बढ़ाना, जनसंख्या का देशान्तर गमन, व्यक्तियों, वस्तुओं, पूँजी आंकड़ों व विचारों की गतिशीलता का बढ़ना। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसने वैविध्यपूर्ण दुनिया को एकल समाज में एकीकृत किया है। हालांकि वैश्वीकरण बहुत चर्चित व विवादित विचारधारा है, परन्तु इस बात पर आम सहमति है कि वैश्वीकरण के दौर में लोगों, पूँजी, माल और विचारों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत वैश्वीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। वैश्वीकरण के बारे में यह कहा जाता है कि इस प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप ही बदल दिया है। राष्ट्रीय राज्य की सम्प्रभुता का ह्रास हुआ है। साथ ही इसका सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि राजनीतिक शक्ति का अधोगामी संचार हुआ है। वैश्वीकरण के युग्मित बलों का जन्म इस बात को पुष्ट करता है।

## 3.2 वैश्वीकरण के कारण
## (Causes of Globalisation) –

वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण कारण साबित हुई है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप, इन्टरनेट के नवीन अविष्कारों ने पूरी दुनिया में संचार क्रान्ति का सूत्रपात किया। उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण विचार, पूँजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही बढ़ गई। विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने लगा।

## 3.3 वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव
## (Political Impact of Globalisation) –

वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव राष्ट्रीय राज्यों पर पड़ा। वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक बदलाव, एकीकृत अर्थव्यवस्था,

अन्य प्रभावकारी प्रवृत्तियों के कारण सम्पूर्ण विश्व का राजनीतिक पर्यावरण वैश्वीकरण के प्रभाव में आ गया। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा में परिवर्तन आने लगा। विकसित देशों में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी पड़ने लगी और उसकी जगह न्यूनतम अहस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। अब राज्य लोककल्याणकारी राज्य के साथ आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक तत्व बन गया है। पूरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी है। इससे सरकारों की स्वायतता प्रभावित हुई है। यद्यपि राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य की प्रधानता को अभी भी कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व राजनीति में आज भी राष्ट्रीय राज्य की महत्ता बनी हुई है। राज्य पर वैश्वीकरण के कुछ और प्रभाव भी हुए है। जो राज्य तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी है उनके नागरिकों का जीवन स्तर उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान से नागरिकों का जीवन सहज हुआ है। वैश्वीकरण का राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव तो है परन्तु समाज वैज्ञानिक इसके राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ रहे प्रभाव की प्रकृति और स्तर को लेकर एकमत नहीं है कि वैश्वीकरण राष्ट्रीय राज्यों को कमजोर बना रहा है और वैश्विक संस्थाओं द्वारा इन राज्यों की गतिविधियों और शक्तियों पर अपनी प्रभुता कायम कर एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता के परिणाम के रूप में विश्व राजनीति में आमूल–चूल बदलाव तो जरुर आएँगे। विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में, लेकिन राष्ट्रीय राज्यों का अस्तित्व समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

बींसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा विश्व राजनीति पर अन्य वैश्विक तत्वों का प्रभाव रहा। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। 1950 तथा 1960 के दशकों में जब शीत युद्ध अपने उफान पर था उस समय एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अन्त हो रहा था और नए राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। स्वतंत्रता, न्याय तथा समानता के सिद्धान्त इसके संघर्ष का आधार थे। इन सिद्धान्तों के प्रति पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ही गुट अपने अपने ढंग से वैचारिक अनुसमर्थन कर रहे थे। इन नए स्वतंत्र देशों की जमीन पूर्वी तथा पश्चिमी गुटों के लिए आर्थिक, राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतियोगिता के लिए अत्यन्त उपजाऊ थी। शीतयुद्ध के तनाव के कारण ही कोरिया, वियतनाम, कांगों, अंगोला, मोजेम्बिक तथा सोमालिया में कई बार क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न हुए। कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि सोवियत संघ के पतन के बाद विश्वशान्ति का एक नया दौर प्रारम्भ हुआ है, जो वैश्वीकरण से प्रभावित है। अब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी नियंत्रित नीतियों के स्थान पर व्यापार में खुलेपन को प्रोत्साहन दे रहे है जो कि प्रजातंत्र एवं जनता के अधिकारों के सिद्धान्तों पर आधारित है। खुलेपन की नीति में हुई अभिवृद्धि के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है। अब पूर्व तथा पश्चिम के बीच शक्ति संघर्ष व शक्ति संतुलन की जद्दोजहद के स्थान पर शान्ति, रक्षा, विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक न्यायालय जैसी कानूनी संस्थाओं का सृजन हुआ है। बड़े–बड़े अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे है ताकि विश्व के सभी देश मिलजुल कर आपसी सहयोग द्वारा अपनी व वैश्विक समस्याओं का निवारण कर सके। इस तरह की प्रवृत्ति को राजनीतिक वैश्वीकरण की संज्ञा दी जा सकती है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ राष्ट्रीय राज्यों की हिस्सेदारी व भागीदारी पर आधारित है तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुता के मौलिक सिद्धान्तों का सम्मान करती है।

## 3.4 वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव (Economic Impacts of Globalisation)–

वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पश्चिमी पूँजीवादी देश एशिया और अफ्रीका में अपने उत्पादों के लिए बाजार ढूँढने में प्रयत्नरत है। प्रत्येक देश ने अपना बाजार विदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए खोल दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) दुनिया में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे है। यह संस्थाएँ शक्तिशाली पूँजीवादी ताकतों के प्रभाव के क्षेत्र में कार्य कर रही है। यद्यपि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी काफी लाभ हुआ है। लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। चीन, भारत व ब्राजील जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं को पिछली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक लाभ हुआ है। विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक प्रवाह तेज हुआ है। पूर्व में विभिन्न देश आयात पर प्रतिबन्ध अधिक लगाते थे परन्तु वैश्वीकरण के दौर में प्रतिबन्ध शिथिल हो गए है। अब धनी देश के निवेशकर्त्ता अपना विनिवेश अन्य देशों में कर सकते हैं। भारत, ब्राजील जैसे विकासशील देश विदेशी निवेश के विशेष आकर्षण है।

पूँजीवादी देशों को इससे अधिक मुनाफा होता है। वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में वैचारिक क्रान्ति लाने का कार्य किया है। अब विचारों के आदान–प्रदान में राष्ट्रीय सीमाओं का असर समाप्त हो गया है। इन्टरनेट और कम्प्यूटर से जुड़ी सेवाओं जैसे बैकिंग, ऑनलाईन शॉपिग व व्यापारिक लेन–देन तो बहुत सरल हो गई है लेकिन जितना तेज वस्तुओं और पूँजी का प्रवाह बढ़ा है उतनी तेज लोगों की आवाजाही, नहीं बढ़ सकी है। विकसित पूँजीवादी देशों ने अपनी वीजा नीति को 9/11 की आतंकवादी घटना के बाद अत्यन्त कठोर कर दिया है। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण से हुआ है कि यह देश आशंकित है कि अन्य देश के नागरिक उनके नागरिकों की नौकरी व व्यवसाय न हथिया लें।

वैश्वीकरण का अलग–अलग देशों पर अलग–अलग प्रभाव पड़ा। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर रही है वहीं कुछ देश आर्थिक रूप से पिछड़ गये है। वैश्वीकरण के दौर में सामाजिक न्याय की स्थापना अभी भी संकट में है। सरकार का संरक्षण छिन जाने के कारण समाज के कमजोर तबकों को लाभ की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई विद्वान् वैश्वीकरण के दौर में पिछड़े लोगों के लिए सामाजिक

सुरक्षा कवच तैयार करने की बात कर रहे है। कुछ लोग वैश्वीकरण को नवउपनिवेशवाद का नाम देकर निन्दा कर रहे है। जबकि वैश्वीकरण के पक्षकारों का मानना है कि वैश्वीकरण से विकास व समृद्धि दोनों बढ़ती है। खुलेपन के कारण आम आबादी की खुशहाली बढ़ती है। हर देश वैश्वीकरण से लाभान्वित होता है।

## 3.5 वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव (Cultural Effects of Globalization) –

वैश्वीकरण ने न केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित किया है अपितु इसका लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। इसका विश्व के देशों की स्थानीय संस्कृतियों पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। इस प्रक्रिया से विश्व की परम्परागत संस्कृतियों को सबसे अधिक खतरा पहुँचने की आशंका है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को जन्म देता है जिसका विशिष्ट देशज संस्कृतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों को अन्य आँचलिक संस्कृतियों पर लादा जा रहा है। इससे खान–पान, रहन–सहन व जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि प्रौद्योगिकी के विकास व प्रवाह से एक नवीन विश्व संस्कृति के उदय की प्रबल सम्भावनाएँ बन गई है। इन्टरनेट, सोशल मीडिया, फैक्स, उपग्रह तथा केबल टी.वी. ने विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विद्यमान सांस्कृतिक बाधाओं को हटाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

## 3.6 सांस्कृतिक प्रवाह बढ़ाने वाले माध्यम (The Channels for Promoting Cultural Exchanges)

**सूचनात्मक सेवाएँ (Information Services)** –

1. इन्टरनेट व ईमेल से सूचनाओं का आदान–प्रदान।
2. इलेक्ट्रॉनिक क्रान्ति ने सूचनाओं को जनतांत्रिक बना दिया है।
3. विचारों एवं धारणाओं का आदान–प्रदान आसान बनाना।
4. सूचना तकनीकी के विस्तार से डिजीटल क्रान्ति आई है वहीं विषम डिजीटल दरार भी उत्पन्न हुई है।
5. अविकसित, अर्द्धविकसित व कुछ विकासशील देशों में सूचना सेवाओं पर राज्य का नियत्रंण है।
6. एक विशिष्ट समूह द्वारा सूचना माध्यमों पर आधिपत्य स्थापित कर लेना, अलोकतांत्रिक है।

**समाचार सेवाएँ** – सी.एन.एन., बी.बी.सी, अल जजीरा (CNN, BBC, AL- Jazeera) आदि सैकड़ों अन्तर्राष्ट्रीय चैनलों का विश्वव्यापी प्रसारण हो रहा है जिससे वैश्वीकरण को अधिक प्रभावशाली बना दिया है। खबरों की विश्वसनीयता व प्रमाणिकता पर अभी भी प्रश्न चिह्न लगे हुए है। खबरें व उनका विश्लेषण राजनीतिक प्रभाव से सम्बद्ध होता है जो लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है।

## 3.7 भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव (Impact of Globalisation on India)–

वैश्वीकरण की लहर का भारत में आगाज पिछली शताब्दी के अन्त में हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाला भारत देश भी इस धारा से जुड़ गया। भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात जुलाई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने किया था। वे अमेरिकान्मुख वैश्वीकरण के लिए कई बार आलोचना के केन्द्र रहे। व्यवहार में उस समय के वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने ही नई आर्थिक नीतियों (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) को शुरु किया।

1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। 1992–93 से रूपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। पूँजी बाजार और वित्तीय सुधारों के लिए कदम उठाए गए।। आयात–निर्यात नीति को सुधारा गया है। इसमें प्रतिबन्धों को हटाया गया है। 30 दिसम्बर 1994 को भारत ने एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी,1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई और भारत इस पर हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन गया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त करना शुरु कर दिया जो वर्षों से आर्थिक विकास में बाधक बनी हुई थी। प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए और सरकारी तंत्र की जटिलताओं को हल्का किया गया।

देश में अभी भी वैश्विक परिवर्तन का दौर जारी है। भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के भिन्न– भिन्न प्रभाव पड़े है। इन चुनौतियों का सामना करने लिए भारतीय संघवाद की तीन अलग–अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आयी है। पहला यह आशंका है कि वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था की ढील से देश के आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव पड़ा है क्योंकि भारत अभी भी एक विकासशील देश है और वह विकास के मार्ग पर वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रवृत्तियों का लाभ लेते हुए विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकता। वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ उन अर्थव्यवस्थाओं को होगा जो पहले से ही विकसित है। अर्द्धविकसित और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश इस दौड़ में पीछे रह जाएँगें। यदि भारतीय राज्य को सतुंलित समग्र और समाजवादी विकास की अभिवृद्धि करनी है तो राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसी कारण प्रतिस्पर्धा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए व समान नीतियों को लागू करने के लिए केन्द्रीकरण की मांग करती है।

दूसरा, वैश्वीकरण की प्रवृत्ति वैधता का संकट पैदा करती है। एक तरफ राष्ट्रीय राज्य अपनी आर्थिक सम्प्रभुता को तो कम कर देता है किन्तु आन्तरिक सम्प्रभुता का परित्याग करने से परहेज रखता है। घरेलू सम्प्रभुता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राज्य को स्थानीय लोकतांत्रिक संरचनाओं की रचना

करनी पड़ती है ताकि राज्य की वैधता आगे बढ़ सके।

भारतीय संघवाद की तीसरी परत पंचायतीराज की संवैधानिक मान्यता इसी चिंता का एक प्रतिबिम्ब है। इस प्रवृत्ति का ''नवीन स्थानीयता "New Localism think Globally, Act Locally" की संज्ञा दी जाती है।

भारतीय संघवाद के सामने वैश्वीकरण की तीसरी चुनौती है– नागरिक समाज संगठनों की तीव्र वृद्धि। इनमें से कुछ संगठन लोकतांत्रिक शासन की समानान्तर और क्षैतिज संरचनाएँ उत्पन्न कर देते है जो लोकतंत्र के संचालन पर बुरा प्रभाव डालते है।

यदि भारतीय राज्य आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो यह सुधारात्मक हस्तक्षेप शुरु किए बिना दो स्तरीय प्रणाली को नहीं ला सकता। एक तरफ अग्रिम राज्य व्यापक विकास कर लेते है। वहीं पिछड़े राज्यों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सहायता के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, अपितु शासन पर पड़ने वाले सम्भावित सकारात्मक प्रभाव की वजह से सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे – सहकारी वित्तीय संघवाद

संघवाद का यह मार्गदर्शक सिद्धान्त है कि असमान राज्यों को समान अधिकार प्रदान किए जाए। क्षेत्रीय असमानता एक इकाईयों की आपसी सौदेबाजी की शक्ति पर प्रभाव डालती है। वहीं दूसरी तरफ यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारकों की सौदेबाजी पर भी प्रभाव डालती है और इन इकाईयों की आबादी की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण उतना ही पुराना है जितनी की हमारी सभ्यता। यद्यपि पिछले दो दशकों में यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन गई है। दुनिया की सभी देशों की राजनीति व प्रशासन विशेष रूप से विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारत की इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया है। जब भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में वित्तीय संकट के दौर में विश्व के अन्य देशों के लिए खोलनी पड़ी।

स्वतंत्र भारत की संघीय परियोजना एक तरफ औपनिवेशिक विरासत से प्रभावित थी वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण की बाध्यताओं और चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया थी। संविधान निर्माताओं को यह अपेक्षाएँ थी कि उनके द्वारा प्रदान किया संस्थागत ढांचा देश की जटिल विविधताओं और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट सकेगा। भारतीय संघ में एक तरफ बहुलवाद और विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों विद्यमान है, वहीं दूसरी तरफ केन्द्रवाद की प्रवृत्तियाँ भी मौजूद है। इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों का सह–अस्तित्व भारत के संघवाद को अर्धसंघवाद बनाता है।

वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ती है एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। राज्यों के बीच बढ़ती हुई अन्तःक्रिया व अन्तः निर्भरता इसी के तथ्य है। वैश्वीकरण को एक विश्वव्यापी प्रवाह के रूप में समझा जाना चाहिए जो विश्वव्यापी जुड़ाव से पैदा हुआ है। विश्वव्यापी प्रवाह के उदाहरण है– विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुँचना। पूँजी का एक से ज्यादा देशों में जाना, वस्तुओं का विभिन्न देशों में पहुँचना या फिर बेहतर आजीविका की तलाश में विश्व के विभिन्न देशों में लोगों की आवाजाही। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित है। वैश्वीकरण ने विश्व को एक छोटे से गाँव का रूप दे दिया है क्योंकि विश्व के दूर–दूर तक फैले देशों के लोग अब अपने को एक–दूसरे के निकट महसूस करते हैं। जैसे कि वे एक दूसरे के पड़ोसी हो। वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को बलवती करने में प्रोद्योगिकी का महत्त्वपूर्ण योगदान है। बढ़ते संचार साधनों, इन्टरनेट और सोशल मीडिया ने सारे विश्व को एक समग्र इकाई में परिवर्तित कर दिया है। यातायात एवं संचार व्यवस्था में हुई वृद्धि से आज पूरा विश्व एक बाजार स्थल (व्यापार क्षेत्र) बन गया है।

**यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आज अपने स्थानीय बाजार में अमेरीका अथवा न्यूजीलैंड के कीवी फल खरीद सकते हैं। इस प्रकार उत्पादक देशों से अन्य देशों के बाजारों तक वस्तुओं का यह प्रवाह वैश्वीकरण का एक अंग है। वस्तुओं और सेवाओं का यह मुक्त प्रवाह एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं में प्रदेशों में हर समय बना रहता है।**

हिमाचल प्रदेश के सेव, गुजरात और महाराष्ट्र के संतरे, उत्तर–पूर्वी राज्यों तक पहुँचते है। परन्तु यही जब दो या दो से अधिक सम्प्रभु राष्ट्रीय राज्यों के मध्य मुक्त रूप से होता है तो इस प्रवृत्ति को वैश्वीकरण नाम दिया जाता है। इस प्रकार जो देश अन्य देशों की तुलना में अधिक सस्ती व बेहतर तकनीक से युक्त कार का उत्पादन कर सकता है, वह विश्व के सभी देशों को अपने यहाँ निर्मित कार का निर्यात कर सकता है। इसी प्रकार जिन देशों में कम्प्यूटरों का उत्पादन नहीं होता तथा कम्प्यूटर उन्हें बाहर से आयात करने पड़ते है, उन्हें सस्ते तथा बेहतर कम्प्यूटर का उत्पादन करने वाले देश निर्यात कर सकते हैं। इसे ही कहा जाता है – एक देश की प्रतिस्पर्धा से प्राप्त होने वाला सर्वश्रेष्ठ लाभ। वैश्वीकरण को इस रूप में बताया जा सकता है जब देश माल का उत्पादन करते हैं और उस माल को पूरे विश्व में बेचने के लिए दूसरे देशों से प्रतियोगिता करते हैं तो उससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विनिवेश व पूँजी में वृद्धि होती है।

आज चीन के उत्पाद दुनिया के किसी भी देश के बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध है क्योंकि वहाँ मजदूरी सस्ती है। जो उसे अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा में मददगार साबित हुई है। एक राष्ट्र

यह निर्णय कैसे ले कि उसे क्या उत्पादित करना है? यह प्राकृतिक देन भी हो सकती है, जैसे भूगोल या प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और जलवायु यह भी हो सकता है कि किसी देश को किसी खास चीज के उत्पादन में लम्बे समय से विशिष्टता प्राप्त हो, जैसे कि भारत बासमती चावल उत्पादन को। वैसा क्षेत्र जिसमें देश के पास कुछ उत्पादित करने की योग्यता होती है मुख्य स्पर्धा कहलाती है।

> **मुख्य स्पर्धा–एक ऐसा आधारभूत तत्व है जो किसी विषय–क्षेत्र या कौशल के विवरण में विशेषज्ञता अथवा योग्यता स्थापित करता है।**

इसलिए वैश्वीकरण के पीछे प्रमुख विचार यह है कि सभी राष्ट्र केन्द्रीय सक्षमता को विकसित करेंगे और वैसी चीजों का उत्पादन करेंगे, जिसमें वे निपुण है। ऐसी स्पर्धा, देश के भीतर और दूसरे देशों के साथ दोनों देश को सक्षम और मजबूत बनाने में मददगार होगी।

प्रयास के बावजूद भी यहाँ माल और सेवाओं के आवागमन पर अक्सर अवरोध लगा रहता है। जैसा कि सभी देश एक ही विश्व बाजार में बेचने का प्रयास कर रहे हैं यह स्वाभाविक है कि उनके पास वस्तुओं के उत्पादन के अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ विकसित राष्ट्र दूसरे देशों को विकसित स्तर तक पहुँचने के अवसर नहीं देते। यहाँ तक कि जब कोई राष्ट्र इन विकसित राष्ट्रों द्वारा खड़े किए अवरोधों से सामना करने की तैयारी करता है तो फिर नई सीमाओं या अवरोधों को बना दिया जाता है। भारत को ऐसी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

## 3.8 वैश्वीकरण का लोक संस्कृति पर प्रभाव (Impact of Globalisation on Native Culture)–

वैश्वीकरण के कारण आज किसी भी देश का गीत–संगीत विश्व के हर कोने में सुना जा सकता है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इससे विशिष्ट राष्ट्रीय संगीत को प्रदूषित कर दिया है। वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में लोक संस्कृति के प्रसार को तो बढ़ाया है परन्तु इससे आंचलिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में रुकावट आई है। पाश्चात्य एवं विदेशी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का वर्चस्व बढ़ा है। पोप कल्चर ने शास्त्रीय संगीत परम्परा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लोकवाद्यों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक वाद्ययंत्रों के आ जाने से संगीत की सुरमयता व शास्त्रीय विशिष्टता समाप्त हो गई है।

पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों का हास किया है। इससे राष्ट्र के खान–पान व पहनावे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

## 3.9 सामाजिक मूल्यों पर वैश्वीकरण का प्रभाव (Impact of Globalisation on Social Values)–

भारत ने वैश्वीकरण का आर्थिक क्षेत्र में तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, परन्तु सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे युवाओं ने पश्चिमी प्रभाव में आकर मान–मर्यादा, रीति–रिवाज का परित्याग कर दिया है। सामाजिकता के स्थान पर स्वार्थपरकता ने स्थान ले लिया है। व्यक्ति के नैतिक चरित्र में वैश्वीकरण की विभिन्न नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रभाव स्वरूप ह्रास हुआ है। मूल्यविहीनता भारत जैसे बहुलवादी देश के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुई है।

## 3.10 वैश्वीकरण के परिणाम (Consequences of Globalisation) –

आज पूरा विश्व एक ही नेटवर्क के दायरे में बंधा हुआ है। एक देश की महत्त्वपूर्ण घटना का तुरन्त प्रभाव अन्य देशों पर पड़ता है। वस्तुएँ , पूँजी, लोग, ज्ञान, संचार, हथियार, अपराध, फैशन, विचार, और विश्वास तेज गति से एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाते हैं। वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति के साथ एक वैश्विक व्यवस्था को जन्म दिया है। वैश्वीकरण ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया के रूप में जन आन्दोलन तथा पलायन को प्रेरित करता है जिसका सबसे अधिक प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ता है। वैश्वीकरण ने यूरोप व अन्य राज्यों में शरणार्थी समस्या को जन्म दिया है। 2016 तक 7.4 अरब जनसंख्या में से लगभग 60 करोड़ लोग शरणार्थी है अर्थात् हर 122वां व्यक्ति शरणार्थी है। वैश्वीकरण को हर व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रक्रिया भी माना जाता है। कई आलोचक यह भी मानते हैं कि वैश्वीकरण केवल कॉरपोरेट सेक्टर व उद्योगपतियों के हितों का सम्वर्द्धन करता है और इसका गरीब वर्ग के हितों से कोई सरोकार नहीं है। कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि वैश्वीकरण की मुक्त बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था से दुनिया की जो अपेक्षाएँ थी वे पूरी नहीं हो सकी है। वैश्वीकरण से प्रभावित संस्थाओं ने गरीब देशों, कामगारों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के हितों की अनदेखी करते हुए केवल कॉरपोरेट जगत के हितों की पूर्ति की है। यह बड़े देशों के साम्राज्यवाद का नवीन रूप है। वैश्वीकरण ऋण आधारित अर्थव्यवस्था को थोपने के लिए कटिबद्ध है जिसके कारण ऋण में बेहताशा बढ़ोतरी एवं ऋण संकट की स्थिति पैदा हो सकती है।

**आलोचना** – वैश्वीकरण से राष्ट्र की आर्थिक स्वायत्तता प्रभावित होने की आशंका रहती है। अर्द्ध विकसित व विकासशील देशों की विकसित देशों के पिछलग्गू बनने की सम्भावना होती है।

1. वैश्वीकरण एक राष्ट्र की स्वायतत्ता सम्प्रभुता और आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकता है।
2. वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील व अन्य पिछड़े देशों के लिए देर–सवेर घातक सिद्ध हो सकता है। यह

परिघटना अमेरीका वर्चस्व को ही प्रोत्साहित करेगी।

3. भारत अमेरीका का 'Client State' (ग्राहक देश) बनकर रहने की आशंका की जाती थी।
4. वैश्वीकरण की नीति उदारीकरण और निजीकरण के तार्किक परिणाम की अभिव्यक्ति है। इसके अन्तर्गत व्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों की कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए व्यवस्थागत अर्द्ध व्यवस्थागत अर्थव्यवस्था को विश्व की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की आर्थिक गति के साथ जोड़ने की छूट दी जाती है। वैश्वीकरण के अन्तर्गत कोई व्यवस्था अपने उत्पादन खरीद–फरोख्त तथा सेवाओं का जाल विश्व के किसी भी हिस्से के साथ जोड़ सकती है। जहाँ सबसे कम लागत पर गुणवता, उन्नत की जा सके और उससे अधिकतम लाभ पाया जा सके। आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण की नीति बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार को बढ़ावा देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विकासशील व्यवस्थाओं का सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक जीवन, विश्वव्यापी सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक प्रभाव के दायरे में आ जाता है। उदारीकरण वह नीति या प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत व्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का कौशल सामर्थ्य बढ़ाने एवं उससे मिलने वाले लाभ के प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि करने के लिए उस पर से सरकारी प्रतिबन्ध और नियंत्रण समाप्त कर दिया जाता है या उनमें रियायत दे दी जाती है, ताकि बाजार शक्तियों को काम करने का मौका मिल सके और व्यवस्था की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु में शक्तियाँ स्वतंत्र होकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन समर्थ रूप से कर सके। इस नीति के अन्तर्गत समाज एवं व्यक्तियों के कल्याण हेतु राज्य की जबावदेही को कम करने की कोशिश की जाती है। यह इस विश्वास के साथ सम्बद्ध होता है कि यह नीति व्यवस्था के सेवाओं एवं वस्तुओं की मांग पूर्ति तथा मुक्त प्रतिस्पर्धा के नियम व्यापारियों के लिए निजी लाभ और कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों का आकर्षण उपलब्ध कराता है जो आर्थिक गतिविधियों को कार्यक्षम बनाने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। आलोचनाओं के तर्क में तीनों परिस्थितियाँ विकासशील व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है। यह नव उपनिवेशवादी मानसिकता को बढ़ावा देती है जिसके माध्यम से विकसित देश संदर्भित व्यवस्था को उन्नति का प्रलोभन देकर मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व औद्योगिकीकरण के बहाने उन देशों का सस्ता कच्चा माल और सस्ते श्रम का इस्तेमाल अपनी उन्नति के लिए करता है तथा अपनी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बड़े बाजार के रूप में इन व्यवस्थाओं का प्रयोग करता है।

**उपलब्धियाँ** – आलोचनाओं के बावजूद विश्वव्यवस्था में वैश्वीकरण की सकारात्मक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। विगत 25 वर्षों में कई पिछड़े देशों की प्रगति व लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में वैश्वीकरण का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वैश्वीकरण की निम्नलिखित उपलब्धियाँ गिनाई जा सकती है –

1. विकासशील देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा का दोगुना होना व शिशुमृत्यु दर का घटना।
2. वयस्क मताधिकार का व्यापक विस्तार।
3. लोगों के भोजन में पौष्टिकता को बढ़ाना।
4. बालश्रम को घटना।
5. प्रति व्यक्ति को विद्युत, कार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाईल फोन आदि सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
6. स्वच्छ जल उपलब्ध कराना।
7. प्रत्येक सेवा क्षेत्र के अभूतपूर्व सुधार।
8. जीवन को अधिक खुशहाल बनाना।

## निष्कर्ष

1991 में प्रारम्भ हुए वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ विकसित राष्ट्रों को हुआ। यद्यपि चीन, भारत और ब्राजील देशों की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अर्द्धविकसित व अविकसित देशों में तुलनात्मक दृष्टि से कम आर्थिक सुधार हुए है। भारत जैसे देशों में उच्च व मध्यम वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि हुई है। सेवा, क्षेत्र, दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन सेवाओं में लगे लोगों को कृषि व विनिर्माण की तुलना में अधिक लाभ हुआ। आज भारत प्रगतिशील राष्ट्र है। जिसकी अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ है। भारत में कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है। वैश्वीकरण प्रौद्योगिक क्रान्ति के माध्यमों से अनवरत प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ वैश्वीकरण के विरुद्ध कई आवाजें उठ रही है। कुछ लोग वैश्वीकरण को भारत की बर्बादी का कारण मानते हैं।

एक विकसित भारत के निर्माण हेतु आवश्यक है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें और यह सुनिश्चित करे कि एक राष्ट्र के रूप में हम क्या कर सकते हैं। हमारे देश में इस प्रकार की मानसिकता भी देखने को मिलती है। जहाँ कुछ लोग यह भी सोचते है कि विदेशी चीजें अपेक्षाकृत अच्छी होती है। उदाहरणतः हम चीन में निर्मित घटिया किस्म के आयातित माल को इस विश्वास के साथ खरीदने के इच्छुक रहते हैं कि वे किसी भी तरह से हमारे देश में बन रहे उत्पादों से बेहतर होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने स्वयं के प्रति अपना विश्वास खो दिया है। वैश्वीकरण कोई नई प्रवृत्ति नहीं है हजारों साल पहले भारत का माल अपनी गुणवत्ता व कारीगरी के कारण दुनिया के दूरदराज क्षेत्रों में निर्यात किया जाता था। आज आवश्यकता उस विश्वास को पुनःस्थापित करने की है, जो विभिन्न कारणों से हमारे में क्षीण हो गया है। हमारा विदेशी आयातित चीजों के प्रति अतिमोह व आकर्षण को कम करना होगा। हमें जापान के

नागरिकों की तरह अपने देश में उत्पादित स्वयं की वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। वर्तमान सरकार की ' मेक इन इण्डिया ' योजना इसी भावना को प्रदर्शित करती है। हमें एक देश के रूप में साहसी बनना होगा और अपनों के लिए कार्य करना होगा तभी वैश्वीकरण के इस दौर में हम अपना अस्तित्व बनाए रख पाएँगे। वैश्वीकरण के दौर में हमें उन सभी क्षेत्रों में जिनमें भारत के पास केन्द्रीय क्षमता है, उन्हें पूर्ण उपयोग के लिए विकसित करने की आवश्यकता है। 1991 में प्रारम्भ हुए वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ विकसित राष्ट्रों को हुआ। यद्यपि चीन, भारत और ब्राजील देशों की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अर्द्धविकसित व अविकसित देशों में तुलनात्मक दृष्टि से कम आर्थिक सुधार हुए है। भारत जैसे देशों में उच्च व मध्यम वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि हुई है। सेवा, क्षेत्र, दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त मनोरंजन, पर्यटन सेवाओं में लगे लोगों को कृषि व विनिर्माण की तुलना में अधिक लाभ हुआ है।

## महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व व्यापार का खुलना, उन्नत संचार साधनों का विकास, बाजार का अन्तर्राष्ट्रीयकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के महत्त्व में वृद्धि, जनसंख्या का देशान्तर वैश्वीकरण का प्रक्रियागत हिस्सा है।
- प्रौद्योगिकी का प्रसार वैश्वीकरण का मुख्य कारण है।
- वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव – राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक।
- वैश्वीकरण की उपलब्धियाँ –
  - विकासशील देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा का दोगुना होना व शिशुमृत्यु दर का घटना।
  - वयस्क मताधिकार का व्यापक विस्तार।
  - लोगों के भोजन में पौष्टिकता को बढ़ाना।
  - बालश्रम का घटना।
  - प्रति व्यक्ति को विद्युत, कार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाईल फोन आदि सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
  - स्वच्छ जल उपलब्ध कराना।
  - प्रत्येक सेवा क्षेत्र के अभूतपूर्व सुधार।
  - जीवन को अधिक खुशहाल बनाना।

## अभ्यासार्थ प्रश्न

### बहुचयनात्मक प्रश्न

1. वैश्वीकरण के सम्बन्ध में कौनसा कथन सत्य नहीं है–
   (अ) यह बाजारोन्मुखी अवधारणा है।
   (ब) इसकी शुरुआत 1960 में हुई है।
   (स) वैश्वीकरण और पूँजीवाद एक–दूसरे पर निर्भर है।
   (द) यह एक बहुआयामी परिघटना है। ( )
2. वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन–सा कथन सही है –
   (अ) विभिन्न देशों और समाजों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
   (ब) वैश्वीकरण का सभी देशों पर समान प्रभाव रहा है।
   (स) वैश्वीकरण का प्रभाव राजनीतिक दायरे तक सीमित है।
   (द) वैश्वीकरण से अनिवार्यतया सांस्कृतिक समरूपता आती है। ( )
3. वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौनसा कथन सही है –
   (अ) इसका एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है।
   (ब) इसमें सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही होती है।
   (स) इसका कारण एक विशेष समुदाय है।
   (द) वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरीका में हुआ। ( )
4. वैश्वीकरण के बारे में कौनसा कथन सही है –
   (अ) वैश्वीकरण का सम्बन्ध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है।
   (ब) वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता है।
   (स) वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्त्व गौंण है।
   (द) वैश्वीकरण का सम्बन्ध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है । ( )
5. वैश्वीकरण के बारे में कौनसा कथन असत्य है –
   (अ) वैश्वीकरण के पक्षधरों का तर्क है कि इससे आर्थिक विकास और समृद्धि बढ़ती है।
   (ब) वैश्वीकरण के समर्थक मानते हैं कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आयेगी।
   (स) वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आयेगी।
   (द) वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढेगी। ( )

### अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. वैश्वीकरण का क्या अर्थ है ?
2. भारत और वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है ?
3. निजीकरण से क्या तात्पर्य है ?
4. वैश्वीकरण के क्या–क्या लाभ है?
5. भारत में आर्थिक सुधार कब और क्यों प्रारम्भ हुआ ?
6. वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है?
7. वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किन देशों पर पड़ा ?
8. वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के बारे में बताइये ?

9. वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा ?
10. वैश्वीकरण का जीवन प्रत्याशा पर क्या प्रभाव पड़ा ?

## लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष से आप क्या समझते हैं ?
2. वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव क्या रहे हैं ?
3. वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए ?
4. भारत में वैश्वीकरण क्यों अपनाया गया ? कोई चार कारण बताइए।
5. वैश्वीकरण के विराध के मुख्य आधार क्या है ? समझाइये।
6. वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सम्प्रभुता को किस प्रकार प्रभावित किया है, बताइये।

## निबन्धात्मक प्रश्न

1. वैश्वीकरण क्या है ? इसके राजनीतिक व आर्थिक प्रभावों की समीक्षा कीजिए
2. भारत व वैश्वीकरण पर निबन्ध लिखिए।

## बहुचयनात्मक प्रश्नों की उत्तरमाला

1. ब  2. द  3. अ  4. द  5. स

# 4. नवसामाजिक आन्दोलन (New Social Movements)

सामाजिक आन्दोलन वस्तुतः एक ऐसा लचीला शब्द है जिसका सम्बन्ध समाज के उन समस्त सामाजिक हितों, समूहों और प्रयासों से है जो सामान्यतः प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं। यह एक सामूहिक सामाजिक क्रिया है, जिसका उद्देश्य वंचित समूहों के हितों से रक्षा करना और उनका संवर्द्धन करना है। सामाजिक आन्दोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गैर परम्परागत परन्तु सक्रिय सहभागी है जो राज्य के कल्याणकारी प्रयासों का पूरक है। सामाजिक आन्दोलनों के पूर्व सामाजिक समूहों और वर्गों के हितों को परम्परावादी संस्थाओं के माध्यम से ही नागरिक वर्ग प्राप्त करने की कोशिश करता रहा है।

## 4.1 सामाजिक आन्दोलनों का श्रेणी विभाजन (Classification of Social Movements )

1. क्रांतिकारी
2. सुधारवादी
3. उपचारवादी
4. वैकल्पिक

**क्रांतिकारी (Revolutionary)** – क्रांतिकारी सामजिक आन्दोलन प्रचलित सामाजिक संस्थानों और व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। जैसे– नक्सलवादी आन्दोलन, वामपंथी आन्दोलन।

**सुधारवादी (Reformative)** – सुधारवादी आन्दोलन, प्रचलित असमानताओं, सामाजिक समस्याओं के धीरे–धीरे सुधार के हिमायती होते हैं। इसके लिए सामान्यतः सांविधानिक संसदीय परम्पराओं का सहारा लिया जाता है। अधिकांश गैर सरकारी संगठन इसी श्रेणी में आते हैं।

**उपचारवादी (Corrective)** – उपचारवादी आन्दोलन किसी एक व्यक्ति विशेष या समस्या पर केन्द्रित होते हैं और उस विशेष समस्या से मुक्ति दिलाने के प्रयासरत होते हैं।

**वैकल्पिक आन्दोलन (Alternative Movements)** – वैकल्पिक आन्दोलन, सम्पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक अलग विकल्प स्थापित करने की बात करते हैं। इसमें सामाजिक मूल्यों में बदलाव भी शामिल होता है जैसे नारीवादी आन्दोलन।

इस प्रकार सामाजिक आन्दोलन एक नयी व्यवस्था अथवा पुराने व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सचेतन सामूहिक और संगठित मानव प्रयास है। इसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में जड़ता समयानुकूल मानवीय और अन्य वांछित परिवर्तन के लक्ष्य आधारित सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। उन सभी आन्दोलनों का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होता है, जो वामपंथी गोलबंदी पर आधारित होता है। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी अभय कुमार दूबे के अनुसार इससे पहले वामपंथी राजनीतिक कार्रवाई का मतलब वर्ग–आधारित गतिविधि माना जाता था, लेकिन जब पश्चिम में रेडिकल नारीवाद, पर्यावरण संरक्षण, अफ्रो–अमेरिकी समूह के नागरिक अधिकार, आणविक निरस्त्रीकरण आदि मुद्दों पर आंदोलन संगठित हुए तो इनकी वर्ग केन्द्रिकता को चुनौती दी गई। तदनुसार नव सामाजिक आंदोलन विचारधारात्मक, विविधता पर आधारित, मुद्दा केन्द्रित आंदोलन होते है, जो दलगत राजनीति से अपनी तटस्थता को रेखांकित करते है। नवीन सामाजिक आन्दोलनों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित समूहों की चर्चा आवश्यक है –

1. **कृषक अधिकार आन्दोलन (Peasants, Movements)**– अन्ध औद्योगिकरण 1991 के बाद प्रारम्भ हुए पूँजीवादी और वैश्वीकरण के पश्चात् भारतीय कृषकों, विशेष रूप से लघु कृषकों के हितों की रक्षा के लिए आन्दोलन होते रहे है। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में मुक्त बाजार व्यवस्था में भारतीय हितों की रक्षा करना है।
2. **श्रमिक आन्दोलन (Labour Movements)** – परम्परावादी श्रमिक आन्दोलन जो मुख्यतः वामपंथी समूहों तक केन्द्रित था, ने मुख्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सरकारों से स्वयं को सामूहिक सौदेबाजी तक सीमित कर लिया था। इनके विपरीत उदारीकरण, वैश्वीकरण के इस नवीन युग में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कई श्रमिक समूह सक्रिय हो गए है जैसे छततीगढ़ मुक्ति मोर्चा।
3. **महिला सशक्तिकरण आन्दोलन (Women Empowerment Movements)** – भारत में महिला आंदोलन का विकास उपनिवेशवाद–विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ। महिला–कल्याण तथा महिला–विकास के चरणों के बाद 80 के दशक में महिला–सशक्तिकरण का दौर नव सामाजिक आंदोलन की देन है। तदनुसार यह मांग की गई कि सहभागिता, प्रतिनिधित्व एवं निर्णय प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक व्यवस्था में अपनी समुचित प्रस्थिति अर्जित करनी है। रूढ़िवादी पितृसत्ता को चुनौती देते हुए महिला–आदोलनों ने परिवार से लेकर अर्थ व्यवस्था और राज्य के जेंडर–संवेदीकरण का अभियान चलाया है।
4. **विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आन्दोलन (Movements Against Devlopmental Hazards)** – यद्यपि विकास एक अनिवार्य और सतत् चलने वाली प्रक्रिया है परन्तु इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए

है। नदियों पर बाँधों के कारण विस्थापन, नदी जल विवाद, सड़क एवं अन्य परियोजनाओं से विस्थापन, पर्यावरण क्षरण इत्यादि। इस क्षेत्र के नव सामाजिक आंदोलनों ने विकास की पर्यावरणीय आशंकाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। इसी संदर्भ में 'अनंत विकास' की धारणा को चुनौती देकर 'संपोषणीय विकास' के लिए गोलबंदी की गई।

## महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- सामाजिक आंदोलनों की चार श्रेणियाँ है – परिवर्तकारी, सुधारवादी, उपचारवादी, वैकल्पिक
- भारत में सक्रिय कुछ सामाजिक आंदोलन– कृषक आंदोलन, श्रमिक आन्दोलन, महिला सशक्तिकरण आन्दोलन, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आन्दोलन।

## अभ्यास प्रश्न

### बहुचयनात्मक प्रश्न

1. भारत में सुधारवादी आन्दोलन का एक उदाहरण है–
   (अ) नक्सली आन्दोलन
   (ब) बेटी बचाओं आन्दोलन
   (स) बोड़ो आन्दोलन
   (द) कावेरी जल विवाद ( )
2. इनमें से कौन कृषक अधिकार आन्दोलन से सम्बन्धित नहीं है –
   (अ) भारतीय किसान संघ
   (ब) भारतीय किसान यूनियन
   (स) शेतकारी संगठन
   (द) प्रजामण्डल आन्दोलन ( )

### अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. किसी एक श्रमिक संघ का नाम बताइए ?
2. नर्मदा बचाओ आन्दोलन का सम्बन्ध किससे है ?
3. शेतकरी संगठन किस राज्य में सक्रिय है ?

### लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. सुधारवादी आन्दोलनों की कोई दो विशेषताएँ बताइए?
2. किन्हीं दो नारीवादी आन्दोलनों की जानकारी एकत्रित कीजिए।
3. विकास परियोजनाओं के विरुद्ध उठ खड़े हुए किन्हीं दो आन्दोलनों के नाम बताइए।

### निबन्धात्मक प्रश्न

1. भारत में नव सामाजिक आन्दोलनों की प्रवृत्ति व प्रकारों पर विश्लेषणात्मक लेख लिखिए।
2. सामाजिक आंदोलन तथा नव सामाजिक आंदोलन के मध्य अंतर को स्पष्ट करें।

### बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. ब 2. द

# 5. सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण
# (Social, Economic Justice & Women Reservation)

भारतीय संविधान के भाग – 4 के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक न्याय की स्थापना के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। एक अवधारणा के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति मे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं हो, वहीं सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय की अवधारणा का उद्भव सामाजिक मानदण्डों, आदेशों, कानूनों और नैतिकता के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस अवधारणा ने सामाजिक समानता के सिद्धान्तों के अनुसार नियमों और कानूनों को लागू करने का समर्थन किया। सामाजिक न्याय शब्द के प्रथम भाग सामाजिक से तात्पर्य है – समाज में रहने वाले सभी लोग और दूसरे भाग न्याय से अभिप्रायः है स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की व्यवस्था व वितरण से है। सामाजिक न्याय वह प्रत्यय है जो समाज में रहने वाले सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरे शब्दों में समाज के सभी सदस्यों की क्षमताओं के समुचित विकास की अवस्था को सामाजिक न्याय कहा जा सकता है। सामाजिक न्याय की परम्परागत अवधारणा व आधुनिक अवधारणा में काफी अन्तर है।

## 5.1 सामाजिक न्याय का अर्थ (Meaning of Social Justice) –

सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा व गरिमा को विशेष महत्त्व प्रदान करता है। यह मानव अधिकार और समानता की अवधारणाओं पर आधारित संकल्पना है जिसका उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना करना है। भारतीय समाज का रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभाव पूर्ण था। जातीयता व साम्प्रदायिकता भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में सबसे बड़ी बाधाएँ रही है। सामाजिक न्याय के अभाव के कारण ही भारत की एकता और अखण्डता अक्षुण्ण न रह सकी और उसे लम्बे समय तक गुलाम रहना पड़ा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो कि जाति आधारित है, सामाजिक न्याय व समतावादी राज्य की स्थापना में बड़ी रुकावट थी। भारतीय समाज में सदियों से सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जारी रहा। कई ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर, लोक देवता बाबा रामदेव से लेकर महात्मा गाँधी तक हजारों समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय समाज के भेदभाव व ऊँचनीच पर आधारित सामाजिक ढाँचे को सुधारने की भरसक चेष्टा की। जिन राज्यों में सामाजिक न्याय का अभाव रहता है वहाँ युद्ध क्रान्ति, बगावत व विद्रोह की अधिक आशंका रहती है। सभी श्रेष्ठ शासकों ने अपनी नीतियों में सामाजिक न्याय को मान्यता प्रदान की है। जिन राज्यों और प्रशासकों ने सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध कार्य किया उनकी सत्ता हमेशा अस्थिर और डाँवाडोल रही है।

हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था कालान्तर में धीरे–धीरे प्रदूषित होकर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। जातिव्यवस्था में रूढ़िवादियां आने से असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक ऊँचनीच की भावना उत्पन्न हुई जिसका लाभ विदेशियों के द्वारा उठाया गया। '' फूट डालो और राज करो '' की नीति अपनाकर पहले विदेशी आक्रांताओं और तत्पश्चात अंग्रेजों ने लम्बी अवधि तक भारत को पराधीन करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति आन्दोलन में सभी भारतीयों ने सामाजिक भेदभावों को भूलाकर एकता, अखण्डता और भाईचारे की भावना को अपनाकर अन्ततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र करवाने में कामयाबी अर्जित की।

## 5.2 भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय (Social Justice & Indian Constitution )–

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान निर्माताओं के लिए ' सामाजिक न्याय ' की स्थापना हेतु संविधान के उचित व्यवस्था करना उनकी महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक थी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और डॉ. भीमराव अम्बेडकर भविष्य के भारतीय लोककल्याणकारी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना को सबसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख अपने आप में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण दर्शन है। हमारा संविधान मात्र उदारवादी ही नहीं है बल्कि यह सामाजिक न्याय से जुड़ा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए है। समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि मात्र समानता के अधिकार से सदियों से अत्याचार सह रहे वर्गों की स्थिति में सुधार लाना सम्भव नहीं है। इसलिए उनकी स्थिति सुधारने व उनके हितों की रक्षा हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति को सरकारी नौकरियों में तथा विधायिका में आरक्षण भी प्रदान किया गया है। संविधान में यह भलीभाँति समझ लिया गया है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए समानता की ही आवश्यकता

नहीं है, बल्कि न्याय की भी आवश्यकता है क्योंकि न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता के आदर्श बिल्कुल निस्सार हो जाते हैं। संविधान के भाग चार के अन्तर्गत अनुच्छेद 38 में न्याय के इस आदर्श का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार '' राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक कार्यसाधन के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोककल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। '' इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श को लोककल्याण के आदर्श से भिन्न माना गया है।

## 5.3 सामाजिक न्याय की प्रकृति

## (Nature of Social Justice)–

सामाजिक न्याय का अभिप्रायः यह है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर सुलभ हो। सामाजिक न्याय की धारणा में एक निष्कर्ष यह निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक विभूति माना जाए, किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधन–मात्र नहीं। सामाजिक न्याय की व्यवस्था में सुचारु और सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विधायी तथा कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयत्न करें।

सामाजिक न्याय का अर्थ है– जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान आदि के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेदभाव ना हो। चूंकि समाज में ऐतिहासिक विकास क्रम में अनेक कारणों से उपर्युक्त आधारों पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेद पनपने लगता है, इससे समाज में असमानता और अन्याय की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में सामाजिक असमानता एक यथार्थ बनकर उपस्थित होती है। अतः सामाजिक न्याय की प्रस्थापना के लिए राज्य को 'भेदमूलक न्याय' को अपनाना पड़ता है, जिसके अनुसार न्याय की मांग है– समानों के साथ समान बरताव तथा असमानों के साथ असमान बरताव। राज्य समाज में ऐतिहासिक विकास क्रम में पीछे रह गए समुदायों की पहचान कर, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार सामाजिक न्याय के लिए 'संरक्षणात्मक विभेदन' आवश्यक है। भारत का संविधान इसी की व्यवस्था करता है।

संविधान के भाग– 3 (मौलिक अधिकार) और भाग – 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के विविध उपायों की व्याख्या की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता और अधिनियमों के अन्तर्गत समान सुरक्षा प्रदान की गई है और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश (नस्ल) जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव व विभेद का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत राज्याधीन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का कानूनी तौर पर अन्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 (1) के अन्तर्गत मानव के पण्य और बलात् श्रम अथवा बेगार पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों से काम कराने (बालश्रम) पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी अधिकार भी सामाजिक न्याय के सोपान है। संविधान ने नागरिकों का कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया है। अनुच्छेद 41 व अनुच्छेद 42 में संविधान ने राज्यों को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 43 (श्रमिकों के लिए निर्वाह, मजदूरी का प्रबन्ध) अनुच्छेद 44 ( नागरिकों के लिए समान व्यवहार–संहिता) अनुच्छेद 45 (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितो की उन्नति) और अनुच्छेद 47 के तहत (आहार पुष्टि–तल और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य) भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी संविधान निर्माताओं को आशा थी। संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21क सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य कानून द्वारा निर्धारित करेगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चे मौलिक अधिकार के रूप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। यह अनुच्छेद 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा अधिनियमित हुआ एवं 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।

सामाजिक न्याय के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है कि सहृदयता से वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान हो। वास्तव में तभी भेदभाव से परे सामाजिक न्याय के सिद्धान्त का सुफल प्राप्त हो सकेगा। सामाजिक ध्रुवीकरण, जातिवाद व वोट बैंक की राजनीति सामाजिक न्याय के मौलिक सिद्धान्तों के पूर्णतया विपरीत है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को केवल आरक्षण भर देने से सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो जाती। इस वर्ग के मानसिक एवं शैक्षणिक विकास के सतत् व सार्थक प्रयास ही उन्हें संकीर्ण सामाजिक क्रियाकलापों से मुक्त रख सकेंगे। अतएव सामाजिक न्याय के लिए वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान व मानसिक विकास आवश्यक है।

## आर्थिक न्याय
## (Economic Justice)

किसी भी समाज में पूर्ण रूप से आर्थिक न्याय व आर्थिक समानता की स्थापना करना सम्भव नहीं है। आर्थिक न्याय का अर्थ आर्थिक असमानता को समाप्त करना नहीं, बल्कि कम करना है। आर्थिक न्याय का मूल लक्ष्य आर्थिक असमानता को कम करना है। समाज में व्यक्ति–व्यक्ति की आय व सम्पति में इतनी विषमता नहीं होनी चाहिए कि जिससे सामाजिक विषमता उत्पन्न हो जाये। ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, अन्याय व आर्थिक अन्याय के तत्व हर युग व हर क्षेत्र में विद्यमान रहे है। मार्क्सवादी राजनीतिक चिंतक ने तो इतिहास की व्याख्या ही आर्थिक भौतिकवाद के सिद्धान्त के आधार पर करते हुए लिख है कि हर युग में आर्थिक स्थिति के कारण समाज में दो वर्ग पाये जाते हैं। जिनमें से एक अमीरों का प्रतिनिधित्व करता है वहीं दूसरा गरीबों व शोषितों का। उसने यह भी कहा है कि अमीर आम तौर पर गरीबों का शोषण करते हैं। इस रूप में समाज में दो वर्ग शोषक व शोषित होने के कारण बिना एक वर्ग की समाप्ति के समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना ही नहीं की जा सकती। विश्व के अन्य देशों की भाँति भारत में भी लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है और इसीलिए आर्थिक न्याय की स्थापना भारतीय शासन का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। भारत के विभिन्न राज्यों में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता के कारण ही नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण, तस्करी व आतंकवाद जैसी दुप्रवृत्तियाँ विकसित हुई है, जो भारत की एकता और अखण्डता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सामाजिक व राजनीतिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय अनिवार्य शर्त है।

## 5.5 आर्थिक न्याय का अर्थ
## (Meaning of Economic Justice) –

आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है धन व सम्पति के आधार पर व्यक्ति–व्यक्ति के मध्य विभेद की दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिए। साधारण शब्दों में आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में न्याय। मानव समाज में धन और सम्पति का सदैव महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। धन व सम्पति समाज में उच्च दर्जा पाने व शक्ति प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रत्येक व्यक्ति धन और सम्पति को बढ़ाने की चेष्टा करता हैं। यदि किसी राज्य या समाज में आर्थिक शक्ति व स्त्रोतों का (धन–सम्पदा) का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है तो उसे आर्थिक अन्याय या आर्थिक असमानता की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन सम्पदा का न्यायपूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमामय जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में आर्थिक न्याय से अभिप्रायः है कि समाज में सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी होना। कोई इतना गरीब या आर्थिक रूप से दुर्बल न हो जाए कि वह अपना अस्तित्व व गरिमा ही खो दें।

**पं. नेहरू के शब्दों में '' भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ एवं महत्त्व नहीं है। ''**

डॉ. राधाकृष्णन ने भी कहा है कि जो लोग गरीबी की ठोकरें खाकर इधर–उधर भटक रहे हैं, जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती और जो भूख से मर रहे है, वे संविधान या उसकी विधि पर गर्व नहीं कर सकते।

अमेरीकी राष्ट्रपति फ्रैकलिन डी. रुजवेल्ट भी कहा है कि '' आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। ''

## 5.6 भारतीय संविधान और आर्थिक न्याय (Economic Justice & Indian Constitution)–

भारत में आर्थिक न्याय की संकल्पना को व्यवहार रूप में सफल बनाने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए है। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों के सम्बन्ध मं समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाये जाएँगे। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, व्यापार या आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत भी आर्थिक न्याय के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। अनुच्छेद 39 सबसे उल्लेखनीय उपलब्ध है जिसमें निर्धारित किया गया है कि –

'' राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि निश्चय ही –

1. समान रूप से महिला व पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो।
2. समुदाय की भौतिक सम्पति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।
3. आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित हो कि धन और उत्पादन–साधनों व संसाधनों का केन्द्रीकरण न हो।
4. पुरुष और महिलाओं दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता हो।
5. श्रमिक पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में जाने के लिए विवश न होना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो।

भारत की विविध पंचवर्षीय योजनाएँ आर्थिक न्याय की स्थापना की प्रबल चेष्टाएँ रही है। समाजवादी ढंग का समाज लोककल्याणकारी राज्य और मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे शब्दों से व्यक्त होता है कि भारतीय राज्य आर्थिक क्षेत्र में ऐसी नीतियों को अनुसरण करेगा जो आर्थिक न्याय की स्थापना में सार्थक हो। राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य मार्ग को अपनाने से ही आर्थिक विषमता को कम किया जा सकता है।

भारत के संविधान के भाग–4 में वर्णित अन्य अनुच्छेदों (अनुच्छेद 36 से 51 तक) का उद्देश्य भी न्याय से अनुप्रमाणित एक नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की प्रावधान करते हैं ताकि जो गरीब है या किसी कारण से मुकदमे के दौरान अपना पक्ष न्यायालय में नहीं रख सकते उनके लिए सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 39 (क) तथा 39 (ख) के प्रावधान भी उल्लेखनीय रूप से आर्थिक न्याय से सम्बद्ध है। वे दोनों अनुच्छेद इस रूप में भी महत्त्वपूर्ण है कि इनकी प्राप्ति के लिए मौलिक अधिकारों में भी कटौती की जा सकती है। आर्थिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से ही भारत में जमीदारी प्रथा व देशी राजाओं के प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया गया था।

## 5.7 भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ–

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक विगत 70 वर्षों में गरीब की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है। लेकिन भारत में गरीबी और अमीरी के मध्य अन्तर लगातार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, लालफीता शाही, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, नौकरशाही व अपराधियों के गठजोड़ से आर्थिक विषमता की खाई निरन्तर गहरी होती जा रही है। भारत सरकार को आर्थिक विषमता को कम करने के लिए निम्नलिखित ठोस व प्रभावशाली व्यवस्थाएँ स्थापित करनी होगी –

1. आर्थिक विषमता को दूर करना।
2. असीमित सम्पति के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाना।
3. प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करवाकर उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
4. धन का उचित वितरण।
5. गरीबों के कल्याण की नवीन योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना।
6. प्रभावशाली कर प्रणाली की स्थापना व कर प्रणाली में सुधार।
7. राजनीतिक आधार पर आरक्षण न देकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करना।

## 5.8 आर्थिक न्याय की वस्तुस्थिति–

भारत आज विश्व का सबसे तेज विकास दर वाला देश बन गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत की विकास दर 7.6 प्रतिशत थी जो कि चीन की 6.7 प्रतिशत विकास दर से भी आगे थी। विमुद्रीकीरण के कारण एक बार थोड़ी दर में गिरावट आई है लेकिन ठोस निर्णय से आगामी वर्षों में भारत 8–9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त कर सकता है। भारत की बढ़ती विकास दर देश को गरीबी के चंगुल से निकालने में अवश्य मददगार साबित होगी। अच्छी विकास दर क बावजूद देश में आर्थिक विषमता के कारण उपजी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आर्थिक न्याय की सच्चे मायने में स्थापना तभी हो सकेगी जब आर्थिक विकास का समुचित लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे। उल्लेखनीय है कि उच्च विकास दर के बावजूद अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब अभी भी गरीब है। विकास का वास्तविक लाभ अभी तक केवल शहरों तक ही पहुँचा है। भारत के गाँव जहाँ लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। अभी भी भीषण अभावों से जुझ रहे है। इन्टरनेट व प्रौद्योगिकी का अभी तक गाँवों में अपेक्षित स्तर तक प्रसार नहीं हुआ है जो डिजीटल डिवाइड के रूप में गाँव व शहर में भेद करने वाली परिघटना के रूप में जानी जाने लगी है। भारत में निर्माण व उत्पादन क्षेत्र लम्बे समय से पिछड़ रहे थे।

## महिला आरक्षण
## (Women Reservation)

परम्परागत रूप से भारतीय महिला सदियों से घरों की चार दीवारी में कैद रही है। वैश्वीकरण के इस तेज युग में जहाँ पश्चिमी व पूर्वी देशों में महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, वहीं भारतीय महिला सामाजिक व धार्मिक कारणों से खुलकर न तो अपनी क्षमताओं का विकास कर पाई है और न ही भारतीय पुरुष प्रधान मानसिकता ने उसे उसके व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास के अवसर प्रदान किए है। विगत 70 वर्षों में भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति तो अवश्य हुई है, परन्तु रोजगार प्राप्त करने, उद्योगों में व्यवसाय करने व राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने के पर्याप्त अवसर भारतीय महिलाओं को अभी तक नहीं मिल सके है। जब तक भारतीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पुरुषों के समतुल्य नहीं हो जाती तब तक न तो देश की वास्तविक तरक्की संभव है और न ही महिलाओं की प्रगति। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें सभी क्षेत्रों में वे सभी विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए जिन्हे प्राप्त कर वे शक्ति और सामर्थ्य में पुरुषों के बराबर पहुँच जाए। वर्तमान में सरकारी नौकरियों में कई राज्यों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। अब भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना भी महिलाओं को आंशिक कमीशन के द्वारा नियोजित कर रही है। अन्य सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन पुरुषों की तुलना में सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त अल्प है। वर्तमान सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) व औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये हैं वहीं सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सुरक्षा बल (SSB) और आई.टी.बी.पी. में 15 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिये गये हैं। भारतीय तटरक्षक बल में भी अधिकारी के रूप में कुछ पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे

गये हैं।

## 5.9 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण (Women Reservation in Panchayati Raj Institutions)–

महिलाओं का समुचित विकास हो सके एवं वे सक्रिय रूप स्थानीय स्वशासन की गतिविधियों में भाग ले सके इस प्रयोजनार्थ भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 पद सभी श्रेणीयों में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए है। इस प्रावधान से पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की उल्लेखनीय रूप से भागीदारी बढ़ी है जिससे न केवल उनका सामाजिक व राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है अपितु उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से विकास के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका अदा की है। अधिकांश महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ग्रामसभा व पंचायत की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की है। अब आरक्षण के फलस्वरूप भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने 42.3 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर दिया है।

## 5.10 लोकसभा व राज्यसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की मांग –

**आरक्षण की आवश्यकता** – महिलाओं को आरक्षण देने का सबसे ठोस आधार यह है कि अब तक सामाजिक कारणों से महिलाएँ अपना समुचित व सर्वागीण करने में सफल नहीं हुई। इस तुच्छ पुरुष प्रधान मानसिकता से महिला के विकास के सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए है। आरक्षण की दरकार व आवश्यकता इसलिए है कि वह समस्त सामाजिक प्रतिबन्धों व बाधाओं को दूर कर सके। राजनीति व समाज में अपना सार्थक योगदान दे सके। उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण द्वारा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है जो भारत के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करेगा।

इस सम्बन्ध में चौथे विश्व महिला सम्मेलन, बीजिंग के घोषणा पत्र का अनुच्छेद 181 का वक्तव्य उल्लेखनीय है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकतंत्र के सुचारु क्रियान्वयन व विकास के लिए आवश्यक है कि निर्बाध निर्माण की प्रक्रिया में पुरुष और महिला दोनों की समतुल्य भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि समाज की बनावट के संतुलन को उचित रूप में बनाए रखा जा सके। सभी क्षेत्रों में बिना महिलाओं के सशक्त भागीदारी के बिना न तो समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और न ही विश्व में शान्ति सम्भव है। सर्वागीण विकास के लिए महिलाओं की सशक्त भागीदारी अपरिहार्य है।

पन्द्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र में 4 जून 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में घोषणा की कि सरकार विधानसभाओं और संसद में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित कराने की दिशा में सौ दिन के भीतर कदम उठायेगी। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने वास्तव में महिला आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा सामने रखी। वर्ष 2018 के प्रारम्भ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने मंशा जाहिर की कि वर्तमान सरकार संसद और राज्य विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित करना चाहती है, परन्तु इस पर सभी राजनैतिक दलों की आम सहमति आवश्यक है।

## 5.11 महिला आरक्षण विधेयक का संक्षिप्त इतिहास –

1. 1996 – देवगोड़ा सरकार द्वारा 81वें संवैधानिक संशोधन के रूप में महिला आरक्षण विधेयक का प्रस्तुतीकरण।
2. 1998 – अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा 84वें संवैधानिक विधेयक के रूप में महिला आरक्षण विधेयक को पुनः प्रस्तुतीकरण।
3. 1999 – राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा विधेयक का दोबारा प्रस्तुतीकरण।
4. 2002 – महिला आरक्षण विधेयक पर सदन में पारित नहीं हो सका।
5. 2003 – महिला आरक्षण विधेयक का फिर दो बाद प्रस्तुतीकरण
6. 2008 – संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने 108वें संवैधानिक संशोधन के रूप में महिला आरक्षण विधेयक को समयपार से बचाने के लिए पुनः राज्यसभा में रखा।
7. 2010 – कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक प्रस्ताव को अनुमोदित कर राज्यसभा में भेजा। जहाँ राज्यसभा द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2010 को इसे पारित कर दिया गया। तत्पश्चात् विधेयक को पारित होने हेतु लोकसभा में प्रेषित किया गया जहाँ अभी तक अवलम्बित है व अवधिपार हो चुका है।
8. इस बिल को पारित होने के लिए राज्यसभा व लोकसभा के अनुमोदन के साथ ही भारत के आधे राज्यों द्वारा पारित होना आवश्यक है। तभी इसे अन्तिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकेगा। किन्तु दुर्भाग्यवश विभिन्न राजनीतिक दलों की हठधर्मिता व इस विधेयक में वर्गीय आरक्षण की व्यवस्था की मांग आदि कारणों से इस बिल को लटका दिया गया है।
9. 2016 – नवम्बर 2016 में महिला आरक्षण की मांग संसद में पुनः उठी है। लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सका है।

महिला आरक्षण विधेयक निहित स्वार्थों के कारण 2010 में निम्न

सदन में पारित नहीं हो पाया परन्तु वर्तमान में इसकी मांग और अधिक प्रखर हो गई है। भारत के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि देश की आधी आबादी को संसद व विधानसभा में पुरुषों के बराबर भागीदारी प्राप्त हो ताकि परम्परागत रूप से पिछड़ी हुई भारतीय महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके और वे देश के विकास में समग्र योगदान दे सके।

## महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- भारतीय संविधान के भाग 4 में सामाजिक, आर्थिक न्याय की अवधारणा पर महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दी गई है।
- परम्परागत भारतीय समाज चार वर्गों ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र में वर्गीकृत था जिसका आगे कोई औचित्य नहीं है।
- समाज में जातिगत आधार पर कई लोगों को सामाजिक व आर्थिक असामनताओं का सामना करना पड़ता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) सामाजिक न्याय के सुदृढ़ीकरण हेतु आरक्षण की व्यवस्था देता है।
- अवसरों की समानता, आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रभावी कदम है।
- शासकीय नौकरियों व विधायिकाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक आवश्यक है।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम संसद ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ।

## अभ्यास प्रश्न

### बहुचयनात्मक प्रश्न

1. सामाजिक व आर्थिक न्याय के सम्बन्ध में संविधान के किस भाग में व्यवस्था की गई है ?
   (अ) भाग एक (ब) भाग दो
   (स) भाग तीन (द) भाग चार ( )
2. इनमें से कौनसा कथन सामाजिक न्याय की अवधारणा से मेल नहीं खाता है –
   (अ) यह स्वतंत्रता, समानता व न्याय पर बल देता है।
   (ब) यह मानवाधिकारों का पोषण करता है।
   (स) यह जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है।
   (द) यह समता की अवधारणा पर आधारित है। ( )
3. परम्परागत रूप से शोषित व हाशिए पर स्थित लोगों के उत्थान हेतु संविधान में कौनसा विशेष प्रावधान किया गया है –
   (अ) आरक्षण की व्यवस्था (ब) सभी को आवास
   (स) पंचायती राज व्यवस्था
   (द) इनमें से कोई नहीं ( )
4. भारतीय संविधान का कौनसा अनुच्छेद अवसर की समानता प्रदान करता है –
   (अ) अनुच्छेद 15 (ब) अनुच्छेद 16
   (स) अनुच्छेद 20 (द) अनुच्छेद 32 ( )
5. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून किस तिथि से प्रभावी हुआ –
   (अ) 26 जनवरी 1950 (ब) 4 अगस्त 2009
   (स) 1 अप्रैल 2010 (द) 15 अप्रैल 2015 ( )
6. 'भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र को कोई महत्त्व नहीं है।' यह कथन किसका है –
   (अ) बीसांक (ब) पं. नेहरू
   (स) लोहिया (द) अर्मत्य सैन ( )
7. महिला आरक्षण से सम्बन्धित कौनसा संविधान संशोधन अधिनियम संसद में अवलम्बित है –
   (अ) 108 वां (ब) 118 वां
   (स) 43 वां (द) 74 वां ( )

### अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. सामाजिक न्याय के पक्षधर दो समाज सुधारकों के नाम लिखिए।
2. युद्ध या क्रान्ति का मुख्य कारण क्या है ?
3. भारतीय सामाजिक व्यवस्था के चार वर्ण कौनसे थे ?
4. आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज में कितने वर्ग पाए जाते हैं ?नाम बताइये।
5. भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी ?
6. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है ?

### लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. सामाजिक न्याय का अर्थ बताइए।
2. आर्थिक न्याय की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए।
3. भारत में जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई ?
4. महिला आरक्षण बिल संसद में पारित नहीं होने के मुख्य कारण क्या है ?

## निबन्धात्मक प्रश्न

1. ''सामाजिक न्याय की अवधारणा समता मूलक सामाजिक ढाँचे में ही संभव है।'' क्या आप इस कथन से सहमत है ? सम्पूर्ण अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
2. जनकल्याणकारी राज्य के रूप में भारतीय संविधान के उन प्रावधानों की मीमांसा कीजिए जो आर्थिक न्याय की स्थापना के पक्षधर है।
3 महिला आरक्षण– दिशा व दशा पर एक लेख लिखिए।

## बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. द 2. स 3. अ 4. ब
5. ब 6. ब 7. अ